

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, स्वैच्छिक संगठन विनियामक प्राधिकरण विधेयक जो हमने 2006 में प्रस्तुत किया था, आज उसके ऊपर चर्चा करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। आपने अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूँ। मान्यवर, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसके पीछे विशेष उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हमने बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें प्रस्तुत किया है। और मैं चाहूंगा कि एक बार उद्देश्य सामने आ जाए तो स्वयंसेवा पता चलेगा कि इस प्राधिकरण विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज स्वयंसेवी संगठन समाज का एक अभिन्न अंग है। समग्र समाज और देश के विकास में इन संगठनों ने काफी योगदान किया है। वे विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों में सहायक होते हैं और संकट तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय ये स्वयंसेवी संगठन ईश्वरीय कृत्यों से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करते हैं और उनका बचाव करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख उपलब्ध कराते हैं और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय और वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन और दवा उपलब्ध करा रहे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन मुख्यतः अंशदान और दान के माध्यम से प्राप्त निधियों पर निर्भर करते हैं, जो उनके व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए ऐसे अधिकांश संगठनों के लिए अनेक कार्यक्रमों के निष्पादन में निधियों का अभाव रहता है। भारत में लगभग दस लाख स्वयंसेवी संगठन पंजीकृत हैं, जिनमें सत्रह हजार एक सौ पैंतालिस स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से निधियां प्राप्त हो रही हैं। इन स्वयंसेवी संगठनों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमों को तोड़ रहे हैं तथा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसी अनियमितताएं जानकारी में आई हैं, जिसमें कई स्वयंसेवी संगठनों ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम का उल्लंघन किया है, जिनके कई देशों में धन तथा बैंक खाते पाए गए हैं। 2005 में गृह मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने पर आठ हजार छः सौ तिहत्तर गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है। इसके अलावा अनुदान वितरण के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों में भाई-भतीजावाद के कई मामले देखने को मिले हैं। यह उल्लेख किया गया है कि कई विभागों में अनुदान प्रदान करने वाले व्यक्ति ही परोक्ष रूप से स्वयंसेवी संगठनों के मालिक होते हैं। इसलिए अनुदान प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वास्तविक संगठनों को परोपकार के प्रयोजनार्थ वांछित अनुदान प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों को तुष्ट करने में दिक्कतें आती हैं। केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर सरकारों द्वारा उन्हें धन उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु इस धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसकी निगरानी नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप बेईमान तत्वों द्वारा चलाए जा रहे कई स्वयंसेवी संगठन व्यापक मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, जबकि वास्तविक स्वयंसेवी संगठनों को धन नहीं मिल पाता है। अनेक संगठनों के पास अपने कतिपय कार्यों को करने के लिए पर्याप्त संरचना और साधन तक नहीं होते हैं, किन्तु वे केवल दुरुपयोग करने के लिए ही अनुदान लेना चाहते हैं। स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण की समग्र व्यवस्था विनियमित नहीं है, इसलिए स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण और विनियमन की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।

मान्यवर, चूंकि आज स्वयंसेवी संगठनों का देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वयंसेवी संगठन और गैर सरकारी संगठन बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और चूंकि ये विभिन्न प्रकार के जनहित की दृष्टि से कार्य करते हैं और जो कहीं-कहीं से उनको सहायता प्राप्त होती है तो उस सहायता का इसमें सदुपयोग करते हैं। सामान्य तौर पर गैर सरकारी संगठन के बारे में यह कहा जाता है या इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था कि ये कार्य करते हैं बिना लाभ के, बिना लाभ लिए हुए विभिन्न क्षेत्रों में धन का उपयोग करके लोगों को लाभान्वित करने की ये कोशिश करते हैं। इसलिए इस प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों का महत्व बढ़ा है। लेकिन

क्रमशः जिस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ी हैं, उसमें अनेक प्रकार की अनियमितताएं उभर कर सामने आई हैं। उन अनियमितताओं में मैं कह सकता हूं, जिसका मैंने उद्देश्य के अंदर पहले ही उल्लेख किया था कि दस लाख से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन हैं और लगभग अठारह हजार ऐसे संगठन हैं जो विदेशी सहायता भी प्राप्त करते हैं और विदेशी सहायता के आधार पर देश के अंदर विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं तथा उस धन को उसमें लगाते हैं। लेकिन इनका किस तरह से विनियमन किया जाए, क्योंकि इनकी आडिट होती नहीं है, इनका खर्चा किस प्रकार का हो रहा है, यह देखा नहीं जाता, इसकी ढंग से मॉनिटरिंग नहीं होती और इसलिए बेतहाशा जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए ये स्वच्छंद हैं। उस स्वच्छंदता के कारण जिस उद्देश्य को लेकर वह धन लिया जाता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उस धन को दूसरी दिशा में खर्च किया जाता है। चाहे वह संगठन विदेश से सहायता प्राप्त करता हो और चाहे अपने देश के विभिन्न स्रोतों से सहायता प्राप्त करता हो। समय-समय पर संसद के अंदर इस संबंध में कई प्रश्न भी पूछे गए। उन प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत साफ तौर पर यह बताया गया कि यह बात तो सही है कि इसके विनियमन के लिए या तो इसको काली सूची में रख दिया जाए या इसको धन उपलब्ध न करवाया जाए या इसको प्रॉपर परमिशन के अन्तर्गत रख दिया जाए, ये सारी चीजें तो जरूर कही गई हैं, लेकिन किसी ने कोई गलत काम किया है, कृपया इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाए, ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसी किसी बात का इसमें उल्लेख नहीं है और ये जो प्रश्न पार्लियामेंट के अंदर पूछे गए हैं, उनका मिनिस्ट्री की तरफ से उत्तर आया है, वह इसी प्रकार का आया है कि इसको समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा में यह प्रश्न 23 दिसम्बर, 2008 को पूछा गया था। इसके संबंध में कई प्रश्न हैं, लेकिन मैं सभी का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने टोटल नम्बर के बारे में पूछा था, total foreign funds, donations received by various organisations including schools, Madarsas, NGOs, during each of the last three years and the current year, state-wise, country-wise. Whether such funds or donations have been used for spreading terrorist activities. If so, whether the Government has banned such NGOs or voluntary organisations? If so, the details thereof. If so, whether the Government proposes to evolve any mechanism to check such activities, and, if so, the details thereof. यह इसका उत्तर आया है। यह बात तो सही है कि इसमें कहा गया है कि ऐसी जांच करने के बाद कोई ऐसी बात तो सामने नहीं आई है कि टेरेरिस्ट के लिए किसी का उपयोग हुआ है, लेकिन इसके अन्तर्गत यह संभावना बढ़ सकती है। अन्त में, उन्होंने जो इसके नियंत्रण के लिए बात कही है, इसकी समाप्ति के लिए मिसयूज करने के क्रम में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है: As per the available information, there are no specific inputs to indicate misuse of foreign contribution by the registered associations under the Foreign Contribution Regulation Act for terrorist activities. However, as and when complaints relating to the violation of the provisions of the FCRA against associations come to the notice of the Government, appropriate action is taken against such associations under the Act. जो इन्होंने बताया है कि इतने तक सीमित है, इसके आगे नहीं है। इन्होंने कहा है - Such actions may include, i) prohibiting the association from receiving foreign contribution, ii) placing the association in the Prior Permission category, iii) prosecuting the association in a court of law and, iv) freezing the bank accounts of the association. In case, associations are found to be

indulging in serious violations such as misappropriation or diversion of foreign contribution for purposes other than the stated objectives of the association, the case is referred to the Central Bureau of Investigation for a detailed investigation and prosecution, if necessary. Violations which are unintentional and not of a serious nature are condoned under the provisions of section 31 of the Act. On the basis of various complaints received and inquiries made, 44 associations have been prohibited from receiving foreign contributions. 26 associations have been placed in Prior Permission category and bank accounts of 11 associations have been frozen. A list of associations against which action has been taken for violation of various provisions of the Act, is available on Ministry's website. Moreover, details of 17 associations have been given to the CBI. 17 केस सीबीआई को दिए और इन्होंने अंत में यह भी कहा कि इस एक्ट को यह अधिकार नहीं है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। उस एसोसिएशन को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कितनी भी गड़बड़ करे। जो कंट्रीब्यूशन्स हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में रख सकते हैं, प्रोहिबिटेड कर सकते हैं, बैंक उनको फ्रीज कर सकते हैं और सीबीआई को दे सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। स्वयं में यह लगता है कि जो स्वैच्छिक संगठन हैं, अगर वे फंड का सदुपयोग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सदुपयोग नहीं करते हैं, तो किसी भी प्रकार की उदंडता, किसी भी प्रकार की हरकत और किसी भी प्रकार की अनियमितता करने के लिए स्वतंत्र हैं, इनको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। श्रीमन्, इस प्रकार का कोई न कोई ऐसा प्राधिकरण बनाना चाहिए, जिसके कारण इन पर नियमन लग सके। जो फंड्स किसी गांव या क्षेत्र में मिलते हैं, उनमें क्षेत्रों की विषमता बड़ी अधिक रहती है। किसी छोटे जिले या छोटे स्थान पर इतने अधिक छोटे स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं, इससे लगता है कि एक ही कार्य के लिए पैसों का कहां-कहां पर, कौन-कौन और किस तरीके से उपयोग करेगा और कहीं-कहीं पर कोई भी नहीं। इसमें एक तरह से ऐसी जबर्दस्त क्षमता है कि उसको कोई देखने वाला या मॉनिटर करने वाला नहीं है। अगर यहां एक स्वैच्छिक संगठन काम कर रहा है तो दूसरी जगह और कोई संगठन जाना चाहिए। इसके लिए इनकी कोई स्तुति नहीं है। कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो इनके ऑफिसर्स होते हैं और जो धन आता है, जो कि जनहित की दृष्टि से लगाए जाने के लिए होता है, वह धन ऑफिसर्स को ठीक करने के लिए, अपने एस्टेब्लिशमेंट को ठीक करने के लिए, धन ज्यादा खर्च हो जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि बाकी की तरफ खर्च कम होता है, वह वहां पर जाता ही नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए उस पर उनको कोई चिंता रहती ही नहीं है। कई जगह यह भी देखा गया है कि स्वैच्छिक संगठन के नाम पर पैसे तो लिए गए, लेकिन पता लगा कि जो वॉयलन्टरी आर्गनाइजेशन हैं या जो नॉन गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशन हैं, वे केवल कागज पर हैं, वह धरती से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे अनेक आर्गनाइजेशन हैं। इसमें HRD के लिए एक सवाल पूछा गया था, कुछ स्कीम्स आई थीं और उसमें यह कहा गया कि जो वॉयलन्टरी आर्गनाइजेशन हैं या NGOs हैं, उनको पैसा देकर लाभ कराया जाए। जो पैसा दिया गया, अधिकांशतः उसको दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने उस पैसे को कहीं दिया ही नहीं है। इन्होंने जो उत्तर में दिया है, विशेषकर बिहार और झारखंड के बारे में दिया है कि HRD की स्कीम दी गई और स्कीम देने के बाद उस संगठन को दिया गया, उस संगठन ने उसका उपयोग किया ही नहीं और इससे संगठनों के नाम भी हैं। इसमें नाम आ गए हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, जैसे अनुपम नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार। इसको पैसे दिए

गए, लेकिन खर्च नहीं हुए यानी उसका उपयोग ही नहीं हुआ, वह डायवर्ट हो गया, लोगों को धोखा दिया गया। ऐसे ही उत्तरी बिहार विकास परिषद् शिविर में एक आर्गनाइजेशन थी। इसी तरीके से सेवाश्रम बनियादी डिस्ट्रिक्ट गिरीडीह झारखंड में थी। इस प्रकार के आर्गनाइजेशन्स और भी हैं, विद्यास्थली, दुमका, झारखंड में है। ये जो इस प्रकार के और आर्गनाइजेशन्स हैं, इन्होंने पैसे तो लिए, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर काम करने की बात आनी चाहिए थी, उन्होंने उसको नहीं किया और ऐसी हालत हो गई कि जब लोगों ने देखा कि NGOs के द्वारा जिस ढंग से काम होने चाहिए, उस ढंग से काम नहीं हो रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो धीरे-धीरे उनकी उनमें अनास्था बन गई। जो NGOs अच्छे काम कर सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता हासिल की है, जिन्होंने बढ़िया काम किया है, उनके प्रति और जिन छोटे-मोटे NGOs ने घपलेबाजी की है, उनके इस प्रकार के काम करने के कारण लोगों के मन में अविश्वास का भाव पैदा हुआ। बाहर से, विशेषरूप से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं, वह बहुत अधिक पैसा आता है। इसमें संगठनों को जो पैसा दिया जाता है, वह सर्वाधिक पैसा अमरीका से आता है। इसमें बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे फोर फाउंडेशन है, वर्ल्ड विजन है, वर्ल्ड विगर इंटरनेशनल है। इनसे हर साल सैंकड़ों, करोड़ों रुपया स्वैच्छिक संस्थाओं को देने के लिए आता है। लेकिन उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्कीम को ध्यान में रखकर वह धन ढंग से दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसको ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कंपनी एक्ट भी इसके अंतर्गत प्रभावी नहीं हो पाता है कि वह इसमें कुछ कर सके, इस पर कुछ अंकुश लगा सके, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट भी नहीं दी जाती है। क्योंकि यदि वार्षिक रिपोर्ट आती तो पता चलता कि किस प्रकार के काम हुए हैं, किस प्रकार के काम नहीं हुए हैं। इसका अनुश्रवण करने वाला कोई नहीं है, न ही इसको कोई ऑडिट करने वाला है। इसकी अनेक गतिविधियां इस प्रकार की हैं, जिसके लिए यदि मैं यह कहूं कि इसके प्रति जवाबदेह कौन है, कौन अकाउंटेबल है, यह पता ही नहीं लगता है। आज एन.जी.ओ. बनाना एक फैशन बन गया है। जो चाहता है, वह एन.जी.ओ. बनाकर अपना धन अर्जित कर रहा है। पैसे का जिस प्रकार सदुपयोग होना चाहिए, जिस पैसे के माध्यम से आप गरीब आदमी को, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाला जो गरीब आदमी है, उसके विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से, एन.जी.ओ. के माध्यम से, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसका भी दुरुपयोग होता है। गरीब आदमी के नाम पर पैसा लिया जाता है, पिछड़े क्षेत्र के नाम पर पैसा लिया जाता है, विकास के नाम पर पैसा लिया जाता है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाता है। एक बड़ी भयंकर स्थिति का निर्माण हो गया है। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद यह अनुभव हुआ है कि इस पर विचार करना चाहिए कि इस पर नियंत्रण कैसे लगे। यदि नियंत्रण नहीं लगा तो आगे चलकर बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी और जो भी स्रोत एन.जी.ओ. के माध्यम से, काम कराने की दृष्टि से धन उपलब्ध कराते हैं, पैसे देते हैं, बाद में वे भी निष्क्रिय हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। बाद में वे भी कहेंगे कि इसका तो खर्च करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। प्राइवेट और सरकारी एजेंसीज एन.जी.ओ. के माध्यम से काम कराती हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, समाज कल्याण विभाग हैं, एच.आर.डी. विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है, और भी विभिन्न विभाग हैं, जिसमें एन.जी.ओ. के माध्यम से काफी बड़े काम होते हैं। यदि उसकी ऑडिट की जाए, पता लगाया जाए तो पता चलेगा कि इसमें सचमुच कितनी धोखाधड़ी है। इतनी धोखाधड़ी है कि लोगों को लगेगा कि काम न हो चलेगा, लेकिन इस प्रकार जो पैसे का दुरुपयोग है, जिस प्रकार कुछ लोग गरीबों के नाम पर पैसा लेते

हैं, स्वयं अमीर बनकर काम कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। अब लोगों के अंदर इस प्रकार की वितृष्णा पैदा होती जा रही है। लॉ कमीशन ने भी अपनी 191वीं रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है। उन्होंने इस प्रकार की सिफारिश की है कि एन.जी.ओज. के लिए मोनिटरिंग और फंड यूटिलाइजेशन के लिए भी अलग कानून होना चाहिए। उनके वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता ढंग से बन सके, इसके लिए लॉ कमीशन ने अपनी 191 वीं रिपोर्ट में बाकायदा रिकमेंड किया है कि यह होना चाहिए। यह सब महसूस कर रहे हैं कि एन.जी.ओज. काम करें, लेकिन एन.जी.ओज. को नियमित करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उनके अनुश्रवण के लिए मोनिटरिंग के लिए कोई प्रोसेस अडोप्ट करना चाहिए। उन्हें यह लग सके कि वे एकाउंटेबल हैं, ऐसी भी कोई मशीनरी बननी चाहिए। लोगों ने यह बहुत गंभीरता से अनुभव करना शुरू किया है, इसलिए यह लगने लगा है कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे न तो पैसे का उपयोग हो पाएगा और जो एन.जी.ओज. के माध्यम से विभिन्न मिनिस्ट्रीज द्वारा कार्य कराने की जो बात आती है, न ही वह हो पाएगा। इसलिए यह अवश्यक प्रतीत हुआ है कि इसकी monitoring के लिए, इसके लेखा-जोखा के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का भी पता नहीं लगता कि यह किससे रजिस्टर्ड होगा? कभी ट्रस्ट बना कर करते हैं, कभी सोसायटी बना कर करते हैं, तो कभी कुछ और बना कर करते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन के अलग-अलग स्थान हैं, इसके कारण भी दिक्कत होती है। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो, यह निश्चित होना चाहिए, ताकि accountability का ढंग से एहसास कर सकें। इसके लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए और सही ढंग से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसके लिए फंड का allotment हुआ है, उसके लिए कोई-न-कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके लिए कानून के तहत कोई-न-कोई व्यवस्था बनाने के लिए हमें यह लगा कि उसके लिए एक अभिकरण बनना चाहिए। इस प्राधिकरण के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन हो। इस प्राधिकरण के माध्यम से इसका जिस भी उद्देश्य के लिए फंड का allotment हुआ हो, उसके लिए सुनिश्चित दिशा तैयार करवाई जाए। उससे बाकायदा सारी चीजें ली जाएं। उनको समय-समय पर अनुसरण करने की दृष्टि से, monitoring करने की दृष्टि से सारी चीजें की जाएं। इसके लिए हमने यह अनुभव किया, लोगों की मानसिकता का अनुभव किया और देखा कि लोग इस प्रकार का नियमन चाहते हैं, विनियमितिकरण चाहते हैं। उसके आधार पर हमने इस विधेयक को यहां लाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको स्वीकार कर लिया गया, तो इस गैर-सरकारी संगठन प्राधिकरण के माध्यम से हम निश्चित रूप से एनजीओज को नियमित कर सकते हैं। साथ-ही-साथ जो भी foreign contribution आता है, इससे हम उस foreign contribution को भी ठीक से regulate कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इसको सदन के अंदर रखा जाए और इस दृष्टि से सबका समर्थन लिया जाए। मैंने जो ये सारी बातें कही हैं, इसके उद्देश्य के बारे में आपके सामने जो विवरण दिया है, उसके द्वारा थोड़ी-सी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। जानकारीयां तो बहुत हैं, आप सब लोग इसके बारे में सारी चीजों को बता सकते हैं। सबका अनुभव वही है, जो मेरा अनुभव है। आप उसको अपने तरीके से व्यक्त करेंगे। इसलिए जब सब यह अनुभव कर रहे हैं कि एनजीओज के द्वारा हम जैसा चाहते हैं, वैसा नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से इस विधेयक के बारे में आप सब लोग अपना समर्थन दें और इस विधेयक को समर्थन देकर एक ऐसा कानून बनाएं, जिस कानून के तहत आवश्यकता पड़ी, तो उसे यह भी अधिकार प्राप्त हो कि जो एनजीओ गड़बड़ी कर रही है, ठीक काम नहीं कर रही है, तो उसे केवल काली सूची में ही न रखे, बल्कि इसका cancellation भी कर सके। इसके लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के

अन्तर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें पूरा उल्लेख किया गया है कि यह प्राधिकरण कितने का होगा, इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका मुख्यालय कहां होगा। इस विधेयक के अन्दर सारी चीजें प्रस्तुत की गई हैं। मैं चाहूंगा कि सदन के अन्दर इस पर विस्तार से चर्चा हो और हमारे जो मित्र यहां उपस्थित हैं, इसको गम्भीरतापूर्वक लेते हुए जो यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार का नियामक बनना चाहिए, प्राधिकरण बनना चाहिए, तो निश्चित रूप से अपना प्रभावी सुझाव देकर कैसे एनजीओज़ के माध्यम से आम जनता के अन्दर हम विश्वास दिलाएं, इस प्रकार की बात सोच कर सुझाव प्रस्तुत करें और इसको स्वीकार करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। आपने मुझे इतनी सारी बातें कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको अत्यधिक धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I stand here in principle to support Kalraj Mishraji's Bill. In fact, the concept is very good, in fact, I told him a short while ago that I would have felt bad if he had been absent in the House today. He was not seen for quite some time. Sir, this is because today voluntary organizations are almost like parallel Governments. I am not saying it in bad sense. But they assist the activities of the Government in such a way that you cannot imagine the implementation of the Government schemes and other actions without the institutions popularly called NGOs, and therefore, the task of NGOs, the role of NGOs in future years is going to be tremendous. But as of today, the NGOs are either registered under the Societies Registration Act which is one century old Act or they are registered as Trusts. Some NGOs, of course, do not register themselves. They do not get any assistance from the Government. That is one part. And there is a need to enact legislations under which these NGOs can be registered. Mishraji has conceived the concept of constituting an authority for regulating their activities. But before the authority is constituted, a full-fledged legislation needs to be framed for regulating the activities of NGOs. The legislation is to be enacted first. After that, the regulating authority can be created. The first and foremost thing is to enact a full-fledged legislation for governing the activities, the roles and the responsibilities of members and office bearers. That is a must for regulating the activities of NGOs.

The second thing, Sir, is, as far as the Government schemes are concerned, it is, practically, the NGOs which are implementing them. Nowadays, another concept has come, Self Help Groups, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। From the Self Help Groups, some people come and ask for funds. Ladies also do a wonderful job; there is no doubt about it. The female members of Self Help Groups do wonderful activities. But the question is that the Government entrusts so much funds to these Groups. Some 20 or 30 persons come together and say that they want to implement such and such scheme; the Government gives them money and asks them to go ahead. If such Self Help Groups are allowed to work without registering themselves under the law in a proper manner, you can imagine what will happen. Sir, even when some NGOs are registered as trusts, and are registered

under the Societies Registration Act, so many *ghaplas* are happening. But if Self Help Groups are not registered under any Act and are just noted in a book of the Ministry concerned, one can imagine what the situation will be. Therefore, Self Help Groups also are to be covered under the proposed legislation. That also is a must.

The third thing relates to the role that an NGO is playing today, to file public interest litigations. Now, many NGOs are after this. Here, there are many black sheep. On any public issue they just go to the court and try to seek halt to the Government projects and policies.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair.]

Here also, again, comes the *bona fide* nature of PILs filed by various NGOs. Sir, today, I have just moved one of the Private Members' Bills, under which I have sought that rules need to be framed for governing the public interest litigations, Although there are hundreds of cases pending in various High Courts, and also in the Supreme Court, regarding the PILs filed by NGOs, there are no rules framed by any competent authority. There are only some guidelines framed, here and there, by the Supreme Court. There are no rules framed under the Constitution of India for the purpose of regulating the PILs which are filed time and again. Therefore, if NGOs are to play an effective role in getting justice to the public, it is essential for the competent authorities to frame the rules for regulating these PILs.

Then, Sir, the substantial area in which the NGOs are playing today a maximum role is education. There are tremendous schemes, concerning the Human Resource Development Ministry, which are run by various NGOs. In many cases, again I say, they do a wonderful job. But lakhs and lakhs of rupees or crores and crores of rupees are just left in the hands of these NGOs for executing the most important schemes of the Government of India. And, again, if the activities of these persons are not regulated, one can imagine what the situation will be. We know what is happening; reports are coming from various sources. Sir, you have also quoted many things. Therefore, if, in the field of education, we let loose the NGOs without being regulated, it can do more damage not only to the administration but also to the education itself.

Therefore, in this field also, as they are entrusted with the very sensitive matter of educating children, this is very important.

Then comes the environment. It is another sector where today the NGOs play an important role. The world over it is happening. There is no doubt about it. There are powerful NGOs which have got big ships, helicopters, aeroplanes, etc. They are working in the field of environment. There is no doubt about it. Our NGOs have not come up to that level. Perhaps, they may come up to that level at a future date. But the role of the NGOs in the field of environment is relevant. Again, on every issue, on every development project, if the NGOs, without being responsible, go to the courts, what is

going to happen to the projects of the Government of India? I don't feel that mere registration under a statute would prevent them from going to a court of law and filing a petition against a development project. I don't say that. But if they are registered under a particular law, their responsibility lies there. Further it is the duty of the court of law to see to it that only *bona fide* NGOs are coming before them. If we analyse the litigations pending in all the States in the country, we will find that hundreds of projects are pending because of the petitions filed against them. What happens in this process? The moment a petition is filed, if a court of law has to examine it, obviously it has to stay it. Unless the court stays it, it can't examine it. If the project is completed, it can't do anything. Therefore, obviously, it has to grant a stay. Once a stay is granted, it would take years together to come up for hearing in the line of order. Projects are held up for years together on account of the petitions filed by the NGOs. There are many, I again say, *bona fide* petitions filed in the interest of the public. But there are many which are not of that kind. There are many petitions which are filed only for the purpose of blackmailing. Now, who will analyse this? One would say that the court should look into the heart of each and every petitioner. It is not possible for it, nor is it possible for the Government. Therefore, there should be some sort of a regulation which can put a little bit of curb on these people.

We had had debates in this House earlier also that the courts have encroached upon the realm of the executive. It is an accepted fact. Some people may not accept it. But this encroachment largely happens because of the role played by the NGOs. I would say that the NGOs have made the courts of law to encroach upon it. These NGOs have been filing petitions in the High Court in every State and in the Supreme Court. It has resulted in damaging the institution. One may like it or not, this has happened because of the petitions filed by the NGOs. As you have also stated, many NGOs which are working under various departmental schemes have been blacklisted. You have mentioned a number of them also. The point is that in each of the blacklisted cases a criminal intent is involved and in most of the cases crimes are committed. But in how many instances has the Government filed criminal cases against the NGOs which have defaulted? It is not a question of a few hundreds that they have taken here and there. They have committed crimes; they have committed frauds; and the Government only blacklisted them. They will be happy because there is no risk involved. If they indulge in such things, the worst thing that can happen is that they may be blacklisted. But they may reappear again under a different name. So, some deterrence has to be established by the Government for prosecuting the NGOs which are committing serious defaults or crimes. It is very essential. This is more so with respect to foreign contributions. So far as foreign contributions are concerned, we have to be very careful. Now elections are round the corner. Only god knows who many NGOs are getting contribution for their activities, which might, ultimately, be used for other purposes like elections, etc. One cannot rule out this possibility. Therefore, such a law is very necessary. Filing of proper returns, preparation of keeping documentary evidence of their activities

from time to time, inspection by appropriate authorities, etc. are the things which are involved in it. Therefore, it is very much essential. Sir, in principle, I welcome this Bill. Ultimately, we will have to have a legislation for the purpose of regulating the NGOs. Thank you.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, actually the intention of bringing forward this Bill is appreciable. But we have to take into consideration how the NGOs are helping to implement the Government programmes and also international programmes with all dedication. When Tsunami struck the coastal areas of south India, more specifically Kanyakumari, I want to that place. At that time, the then ruling party could not come to the rescue of the people. Hundreds of corpses, bodies of dead people were lying there and none of the bodies was removed. These were the bodies of Muslims, Christians and Hindus. But when they are dead, you cannot identify whether they are Hindus or Muslims or Christians. A lot of bodies were lying there and bodies of children were hanging on trees. When I contacted the District Collector, he also could not come to help the people. He was quoting the rule. He said that the request has to come through the Chief Secretary and then only he would be able to come there. Christian missionaries, Hindus, Muslims, youngsters, etc. all came together and brought food, rice, money and many other things for the suffering people. They collected all the youngsters. They dug a pit for putting all the corpses into it without knowing which religion they belonged to. This was done by the NGOs. We cannot say that the Government can do everything. The society is now changing. The NGOs with the help of the local people can look after their day-to-day needs. The Government or the Government machinery cannot discharge such a duty like that. I can cite one more example. Christian missionaries went to the North Eastern States to educate the people. They had gone to the hilly areas also. Wild animals killed many of them. Even then they went there and educated the people. They helped them by providing medical facilities also. There are many people who have been educated by the NGOs, by the missionaries. Those people have even gone up to the college level. Similarly, many people belonging to the minority communities were allowed to have their own NGOs for protecting themselves. There are missionaries, there are Muslims who are having their own schools and madrasahs for educating the people. We can see that the NGOs are doing good work. But at the same time, there are some bad elements also. The intention of the hon. Member, Shri Kalraj Mishra was to bring to the knowledge of Parliament and the nation that there are some wrong things which are going on. Therefore, there should be some regulation in this regard. Shri Shantaram Naik also suggested that there should be a law in this regard. But my humble submission is that there are plenty of laws which are already in existence. But we are not executing or implementing the laws properly. For example, we have the Societies Registration Act and the Indian Trust Act which lays down guidelines as to how the NGOs can be

registered, how they have to be audited every year, or, how they have to file their returns, if they are registered under the Indian Societies Act. And, if they are not following the rules according to the enactment, then, their registration is cancelled. If there is a complaint against them, or, if they are doing anything against the purpose of the society, or, against the aims and objectives of the society, then, the concerned authorities have the power to cancel their registration. Further, if they are getting funds, say, from the Health Ministry or from the Rural Development Ministry or from the Ministry of Social Justice and Empowerment or from the Minorities Affairs Ministry or from any PSU or PSE, and they are not properly following the rules and regulations, then, the concerned Department has the right to blacklist them. The hon. Member himself has put it in the Statement of Objects and Reasons, and I quote: "They were found to be having Swiss Bank Accounts and foreign money across continents. In 2005, the Ministry of Home Affairs had blacklisted 8,673 non-Governmental organisations for violation of the Foreign Exchange Management Act." Further, there are cases of nepotism in various Government Departments in the distribution of grants. It has been reported that in many Departments, the persons giving the grants are the same persons who indirectly own the voluntary organisations. How can a new enactment or a new organisation stop this? There are already regulations under the Foreign Exchange Management Act which governs them. There are Government rules and the service conditions are laid down. If a Government servant is misusing his own position, then, action has to be taken against him according to that rule. Similarly, the Foreign Exchange Management Act has been made effective, and they could identify and declare that 8,673 NGOs were violating the law. Therefore, this is better rather than giving power to a new organisation. Sir, we are enacting new laws in every Session, but we are not allotting any funds for the implementation of these laws. In fact, there is a separate clause called 'Financial Memoranda'. The hon. Member has very rightly said that they can get money from the Consolidated Fund of India. He has stated that Rs.500 crores are required from the Consolidated Fund of India. But there is no calculation to show how this is required. There is no machinery to ensure that the Act is properly implemented. It is not shown as to how they would pay the staff. Or, if there is any violation, and it goes before the Criminal Court or the Civil Court, then, how are the courts going to be constituted? How are they going to be paid? How many magistrates will be appointed? If there is a trial of an offence which is punishable for more than seven years, then, how is the District Court or the Sessions Court going to be constituted? How many staff are going to be appointed in each case? When the cases are going on, and the convicted persons are to be sent to prison, then, how many cells will be made available? How many guards will be there? How much of food and other provisions would be required? There is no calculation of all these expenditure before making a law. The hon. Member has correctly estimated it at Rs.500 crores. It is quite right. But none of the Bills come out clearly with such a calculation. Actually, there is no proper assessment made and we simply make a law. This is the reason as to why none of the Acts is properly implemented, and there is no financial provision made for their implementation. If this is the situation, then, what is the use of enacting one law after another? Therefore, the law itself is now becoming a mockery; enacting a law has become

a mechanical thing. Implementation of the law means nothing, and there is no regulation whereby we can find out how many laws have been properly implemented. What are the consequences of implementation; how much money from the exchequer is spent for the purpose; what is the result of that law; whether the law was needed during that period or it has become outdated and so on. There is no such calculation or assessment done. Even the Law Commission has not conducted any such study. We are just making laws while people are not abiding by those laws. It is only when somebody makes a complaint under the law that it comes to light. The Non-governmental Organisations are getting money from various sources. They do not get money only from the Government. Many of our programmes are now being implemented through various agencies. Funds to the extent of rupees three crores are being spent through the NGOs. NGOs are getting funds from abroad too. What is the source of these funds? From where do these funds come? For what purpose are these funds given? There is a law for that purpose also, but things are not scrutinised properly. There are instances where such organisations are created for converting black money into white money. Many organisations and societies under various names are involved in corruption. The Finance Ministry is not looking into all these things. They do not look into how the money comes, for what purpose this is being spent; whether they have palatial buildings and whether they are taking advantage of things in the city of Delhi; if it is an NGO, they get prime land allotted for construction of their buildings. For what purpose do they do it? If they claim to be working in the field of education, the question is whether they are really working in that field or they are just using all these things for their own ends. We do not have any regulatory mechanism for the purpose. At the same time, we find there are many NGOs which are working at the village level. I can give you a couple of examples. Take the example of the Right to Information Act which is meant for empowering the common man, the *aam admi*. Madam Sonia Gandhiji has made it mandatory that the ordinary man has to be empowered. There are ordinary people in hilly and remote areas who do not have even the ration cards. They do not know how to make applications under the RTI. It is only the dedicated people from the NGOs who go and help them. But while getting into a village, they might have to cross a river, trek through a hilly and forest area. It is these people from the NGOs who go and tell them about the RTI law, how they could make applications and get the benefit out of it. Now, can we expect a Government servant to go to a rural area and do a similar job? No. Only an NGO can do that. They are doing it. Government's programmes are now being implemented by many committed NGOs. They are going to the remotest villages and they are bringing awareness to ordinary people who live in the tribal areas. These NGOs help them to get benefits which accrue from various enactments of the Parliament and State Assemblies. Similarly, many of the health programmes are now being aided by the NGOs. There may be some mistakes. The NGOs which commit those mistakes have to be punished. At the same time, there are committed people also who are helping the ordinary people in villages. We should appreciate the work of those NGOs. We should not create obstacles in their functioning by saying that there is a law and there is a body at the national level where these NGOs should go and register themselves and inform what they are doing, how much money they are

spending, and so on. Can we expect a small group of youngsters who are working in a remote corner, mainly on the basis of the philosophy of Swami Vivekananda, who said, "let me have 100 youth, I will change the whole India", fulfil all these formalities? That type of committed people who are working in remote villages cannot be asked to go and register their names at the national level or the State level and told that only with the permission of the authorities they can carry on their work. That means that they are again creating a bureaucratic system. That means, again, corruption would come, as the hon. Member, Shri Kalraj Mishra has mentioned it in the Statement of Objects and Reasons. I am reading it again for stressing that point. It says, "It has been reported that in many departments persons giving grants are the same who indirectly own voluntary organisations". Therefore, we have to be very careful in seeing that we should not create another system which can breed corruption. Sir, we have to strike a balance between these two. The Government has got the programmes to appreciate the NGOs which are doing a yeoman service in various places, in remote villages, in the tribal areas for the poor people, for the Scheduled Castes, the down-trodden, the handicapped people, etc. Even for the blind people, only the NGOs who can successfully see to it that they are protected. The NGOs can protect the orphanages. They can protect the orphans. They can cultivate them. They can educate them. They can give them employment; they can give them self-employment. So, everything is being done by the NGOs. Therefore, the Government of India, the State Governments and other organisations are also appreciating the services of such NGOs by felicitating them in the annual functions and through other ways. Therefore, we have to encourage that type of NGOs. We have to appreciate their work. Similarly, we have to see that the people who are erring should also be punished under the existing laws rather than bringing in more laws and thereby complicating the system.

Sir, in the globalised society, you know very well that even at the international level, when the World Trade Organisation was having a meeting, or, at the Davos, the Rich People's World Forum was meeting, simultaneously, an NGO meeting was being held in the nearby place, even in the same place. In the same city, the NGOs were having a parallel meeting. So, such rich NGOs are also there. I could attend one such meeting. The title of that meeting was, 'Democracy First'. They spent a lot of money on that meeting. They got our Parliament House Annexe's Main Committee Room on rent for about Rs.1 lakh. In that meeting, highly cultured people, numbering about 15, came. They invited some Ministers also who addressed the meeting, 'Democracy First'. They spent about Rs.5 lakh on that meeting. But, I want to know whether the stakeholders, the actual voters are benefited by that. No. But, they are getting the money. They are photographing it. They are sending the photographs and telling the people that the hon. Ministers had come for that meeting where they discussed at length about 'Democracy First', how the democracy has won. But, in no way, it is useful for the common man. Therefore, that type of elite NGOs are also coming up, which are ready to criticise the genuine programmes of the Government also. They also criticise the international organisations' genuine programmes. They speak about human rights violations. Some organisations have

committed themselves to see that violations are not there. They are ready to agitate for that. They are ready to go to prison also for that cause. But, some NGOs are bringing out some colourful booklets, colourful magazines telling that human rights violations are there in India. They are raising the issues in the Human Rights Commission at the international level. They are creating papers, they are telling that India is having no rights at all for the common man. They are saying that the common man is suffering. They are taking some photographs here and there, displaying them and creating a bad image of India in the international forum. That should also be looked into. We have to see that that type of organisations should be totally boycotted by the society, and see to it that it is not accepted by the society.

Therefore, Sir, the intention of bringing in this Bill has created many thoughts among us, and we appreciate the proposal of Shri Kalraj Mishraji for bringing forward this Bill before this august House. But, at the same time, I feel that we have to see to it that the best NGOs do not suffer. The very, very small, minutest group of people who are working at the grassroots level should not suffer by forcing them to come again in the national level or State level by bringing them under the bureaucratic set-up. So, they will lose their very fibre of it, their happiness of helping the poor people. With this, I just say that this Bill can create a thought, but it should not come as a law. Thank you very much, Sir.

श्री वृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वैच्छिक संगठन के प्राधिकरण बनाने के संबंध में विधेयक रखा गया है, मैं इस विधेयक का स्वागत भी करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वैच्छिक संगठनों का महत्व है। यह महत्व इस नाते और भी बढ़ जाता है कि बहुत से काम, जो सरकार के द्वारा संभव नहीं हैं, उन कामों को ये स्वैच्छिक संगठन जनता के बीच में रहकर कर सकते हैं। वे उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और वह सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि एक तो जो स्वैच्छिक संगठन हैं, वे जनता में चेतना जागृत करें, उनको प्रशिक्षित करें और दूसरा काम यह है कि सेवा के जरिए वे जनता के अंदर अपने प्रति विश्वसनीयता भी प्राप्त करें। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने, विशेषकर माननीय कलराज मिश्र जी ने जब विधेयक प्रस्तुत किया, तो उन्होंने स्वैच्छिक संगठनों के बारे में जो जानकारी दी, हम लोग भी देखते हैं कि अनुभव से ऐसा लगता है कि मकसद चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन हमारे देश के अंदर जो स्वैच्छिक संगठन हैं, ये देसी और विदेशी ताकतों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं। अकसर ऐसा लगता है कि मुखौटा तो परमार्थ का है, सेवा का है लेकिन असल में जो तत्व है, उसमें दूसरे प्रकार का निहित स्वार्थ भरा हुआ है। दूसरे तरीके से कुछ ऐसे तत्व और माफियाज भी इसमें शामिल हो जाते हैं जो स्वैच्छिक संगठनों की आड़ में सरकारी धन का दोहन करते हैं और जनता के बीच में नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर देते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज यह फैशन है कि जितने सरकारी अधिकारी हैं - विरले ही कोई अधिकारी होंगे - अगर इसकी जांच कराई जाए तो पाएंगे कि सर्वाधिक अधिकारियों की पत्नियां कोई न कोई स्वैच्छिक संगठन चलाती हैं। मुझे पाकिस्तान के बारे में कोई किताब पढ़ने को मिली। उसमें यह लिखा हुआ था, उसमें यह जानकारी थी कि पाकिस्तान के जितने हाई ब्यूरोक्रेट्स हैं या फौज के जितने बड़े अधिकारी हैं, सबकी बीवियां एनजीओज़ चलाती हैं। यह बीमारी सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के जो अविकसित देश हैं, वहां पर है। इसके दो मकसद हैं। एक तो इन एनजीओज़ के जरिए जो प्रभावशाली अधिकारी हैं,

उनका फेवर गेन किया जाए, उन तक पहुंच बनायी जाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इन एनजीओज के जरिए जो लोकतंत्र की बुनियाद है, उस लोकतंत्र की बुनियाद को भी कमजोर किया जाए। जो जन-आक्रोश है, जो जनता का गुस्सा है, जो समस्याएं हैं, जो चेतना है, उसकी जो धार है, उसको कमजोर करने के लिए भी इन एनजीओज का इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। फ्रांस की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक एनजीओ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की कि जो हमारा कालीन उद्योग है, उस कालीन उद्योग में बाल श्रम का इस्तेमाल होता है। इसके लिए उन्होंने उसकी फिल्म बनायी और फिल्म बनाकर जो बहुराष्ट्रीय कम्पनी थी, उसने दुनिया भर में इसका प्रचार किया। लिहाजा उसका प्रभाव हमारे कालीन उद्योग पर पड़ा कि बाल श्रम का इस उद्योग में शोषण हो रहा है इसलिए हमारे कालीन उद्योग पर उसका असर पड़ा। उसी प्रकार से जितने नेता लोग हैं, विशेषकर जो भी दल सत्ता पक्ष में हैं, उसके जो नेता लोग हैं, वे भी अपने मार्फत या अपने रिश्तेदारों के मार्फत एनजीओज चलाते हैं किन्तु एनजीओज के जरिए वे कोई काम नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की कोई कमेटी बनाए कि जिस मकसद के लिए एनजीओज को बनाया गया है, वह पूरा हो रहा है या नहीं। अभी-अभी बहुत सी एनजीओज को ब्लैक लिस्ट किया गया है। अभी रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसे बहुत से एनजीओज थे जो ग्राम विकास का काम करते थे, वे काम कुछ नहीं करते थे केवल अपनी जेब भरते थे, उनको ब्लैक लिस्ट किया है। उसी प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, समाज कल्याण है....। ग्रामीण विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। ऐसे विभागों में ये जो एन.जी.ओज. चलाए जाते हैं और सबसे ज्यादा एन.जी.ओज. आदिवासियों के लिए हैं, हरिजनों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, वृद्धों के लिए हैं। परन्तु अगर कोई ऐसी कमेटी बने और वह कमेटी सही तरीके से इसका मूल्यांकन करे तो ताज्जुब होगा कि देश के अंदर जो एन.जी.ओज. की संख्या दी गई है जिसमें दस लाख स्वयंसेवी संगठन पंजीकृत हैं और 17 हजार 145 स्वयंसेवी संगठनों का विदेशों से संबंध है, तो दस लाख स्वयंसेवी संगठनों के होने के बावजूद और अरबों अरब रुपए का सरकारी धन हड़प लेने व खर्च करने के बावजूद न तो आदिवासियों की स्थिति में कोई प्रभावकारी परिवर्तन आया, न महिलाओं की स्थिति में आया और न दलितों की स्थिति में आया। मैं सब को नहीं नकारता, परन्तु आप जानते हैं कि जो ईमानदार और सचमुच सेवा के भाव से काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा यह सुझाव है कि इन स्वयंसेवी संगठनों का सरकारी धन कम कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनको सेवा करनी ही है तो बहुत सी कम्पनियां हैं, बहुत से औद्योगिक घराने हैं, जहां से ये मदद ले सकती हैं या आप जनता के बीच में जाकर के काम करिए और जनता का विश्वास अर्जित करिए। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर हमें राजनीति करनी है, हमें जनता की सेवा करनी है तो जनता के बीच से उनका विश्वास प्राप्त करना चाहिए और अगर उन्हीं से हम धन नहीं प्राप्त करते हैं और हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो हम बाहर के देशों से, बाहर के लोगों से पैसा लेकर हम दान या सेवा का कार्य नहीं कर सकते, वह केवल हम रोजगार का काम करेंगे। मैं भी यह मानता हूं कि अगर आपको सेवा करनी है तथा स्वयंसेवी संगठन ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और अगर आप में यह इच्छाशक्ति है, अगर आपका आचरण है, अगर आपकी पात्रता है तो स्वाभाविक है कि यह समाज, यह देश आपकी सेवा करेगा। आप जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी ने कितना बड़ा काशी विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकार से एक नए पैसे की मदद नहीं ली। परन्तु चूंकि उनका व्यक्तित्व था, उनकी पात्रता थी, तो इस व्यक्तित्व और पात्रता के कारण समाज ने पूरी तरह से उनकी मदद की। ऐसे एक नहीं

अनेकों उदाहरण हैं, जिन्होंने ईमानदारी से जनता के बीच में जाकर मंदिर का निर्माण किया, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, ऐसे तमाम काम किए जिसकी आज भी भूरि-भूरि प्रशंसा होती है। दिल्ली शहर में कम से कम सैकड़ों एन.जी.ओज. के कार्यालय हैं। मान्यवर, इन एन.जी.ओज. के काम करने का तरीका भी अलग है। ये ठेके पर काम कराते हैं, यानी इनका दफ्तर है दिल्ली में और जिलों में इनका ठेका चल जाता है। केवल इनका कागज का घोड़ा दौड़ता है और बैठे हुए ही कागज के हिसाब से सारा काम होता है। वैसे काम कुछ नहीं होता। इसलिए यह जो विधेयक रखा गया है जिसके अनुसार कम से कम कोई ऐसा प्राधिकरण या अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। इसलिए इनके नियमन की आवश्यकता है, इनकी जांच की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजा दी जाए, जिनके बारे में यह साक्ष्य मिले, जिनके बारे में यह सबूत मिले कि ये इसकी आड़ में सेवा का काम नहीं करते, ये केवल अपना पेट और अपनी ही जेब भरते हैं। इनसे एक खतरा और भी है कि इधर जिस तरह से आतंकवादी संगठन या अपराधियों के जो संगठन काम कर रहे हैं, तो ये भी अपना भेष बदलकर स्वयंसेवी संगठनों के मार्फत ऑपरेट करते हैं। इस प्रकार की बहुत सी सूचनाएं, बहुत सी रिपोर्ट्स हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं और सभी जानते हैं कि नाम कुछ है और उसकी आड़ में आतंकवादी और आपराधिक वृत्ति का कार्य हो रहा है। इसलिए इन एन.जी.ओज. का जाल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें अपराध है, जिसमें आतंकवाद है और जिसमें नाना प्रकार की राष्ट्रविरोधी हरकतें हैं, आज के संदर्भ में, जबकि खुला समाज है, खुली अर्थव्यवस्था है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया के जो अवरोध हैं वे खत्म हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार का संगठन जरूर बनाया जाना चाहिए जो शक्ति सम्पन्न हो और वह इस प्रकार की जांच करे। उसी के साथ ही साथ जनता के स्तर पर भी इस प्रकार के संगठनों की आवश्यकता है, जो उन पर नजर रखें। मेरा एक सुझाव यह भी है कि हर जिले में कम से कम एक ऐसा अधिकारी बैठा दिया जाए या कहीं कोई ऐसा फोरम बना दिया जाए कि अगर कोई एनजीओ किसी जिले में काम करता है, जो उसके क्रिया-कलाप हैं, उनका बाकायदा नोटिफिकेशन हो। कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत कर सके, जैसे राइट टू इन्फोरमेशन में है कि आप पांच रुपये, दस रुपये का टिकट लगाकर किसी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। इसी प्रकार की कोई व्यवस्था जिला-स्तर पर होनी चाहिए। इसका सोशल ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, जनता में भी इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले लोग किसी से डरते नहीं हैं। मुझे एक स्वयं सेवी संगठन चलाने वाले ने एक बार कहा कि यह जो आपका शास्त्री भवन है, इस शास्त्री भवन का लिफ्ट मैन है, अगर उसको भी पता चल जाता है कि हम लोग एनजीओ चलाते हैं, तो वह ऐक्सपैक्ट करता है कि सौ रुपया, पचास रुपया उसको मिले और तब आप ऊपर चले जाइये। जैसे ही वहां पर कोई एनजीओ वाला पहुंचता है, वैसे ही लिफ्ट वाला मक्खी की तरह भन-भन करके आगे-पीछे घूमता है। वहां पर इस तरह का ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मामला चलता है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है, इसमें इतनी बदबू आ रही है। एक तरफ तो सरकार जांच-पड़ताल करती है, क्योंकि अब तो किसी चीज की विश्वसनीयता नहीं रह गई है। सत्यम के बाद तो आडिटर की भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आपके पास सारा तानाबाना है, परन्तु उसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उचित कदम उठाये जाने चाहिए और जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए।

हमारे यहां सिद्धार्थ नगर में एक बड़े नेता हैं और वह एक जनता शिक्षण संस्थान चलाते हैं। वह इसका दुरुपयोग करते हैं। उसमें एक भी जनता का कोई शिक्षण नहीं होता। वह उसी के जरिए से अपना पूरा चुनाव प्रचार कराते हैं,

उसके लिए करोड़ों रुपये का बजट यहां से जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगे कि स्वयं सेवी संगठन ठीक से काम नहीं करता है, तो वह अपनी दरखास्त दे दे, उसमें उसको पूरी सूचनाएं मिल जाएं, उन पर उचित कार्यवाही होने लगे, तो इस डर से भी यह जो माफिया या भ्रष्ट टाइप के एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, इन पर भी रोक लगेगी। जिस मकसद के लिए स्वयं सेवी संगठनों की आवश्यकता है, उस मकसद को प्राप्त करने में ये सहायक होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल लाए हैं और अभी श्री कलराज मिश्र हाउस को प्रेसाइड भी कर रहे हैं, इनकी भावनाएं तो बहुत ठीक हैं। मैं समझती हूं कि आजादी के 63 साल होने के बाद अब समय आया है कि जो स्वयं सेवी संगठनों की संस्थाएं चल रही हैं, जो एनजीओज काम कर रही हैं, इनकी ऑडिट के बारे में या इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। हम एक ही लाठी से सभी को नहीं हांक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस भारत को बनाने के लिए जहां पर हमारी प्लानिंग चली है, जहां पर हमारी कांग्रेस सरकारों ने काम किया है, वहां पर इन एनजीओज का सहयोग और योगदान रहा है। आज हम देश के इतने परसेंटेज एजुकेशन को देखते हैं, महिलाओं का उत्थान हुआ है, महिलाओं का जो शिक्षाकरण हुआ है, शक्तिकरण हुआ है, उसमें इन एनजीओज का बहुत हाथ रहा है। यह बात ठीक है कि समय के साथ-साथ इनमें भी कुछ बुराइयां आ गई हैं, इनमें भी कुछ गलत लोग शामिल हो गए हैं। आज हम सब बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए लोग बोलते हैं, जो जनता बोलती है, क्या वह सब ठीक है? क्या हम सभी को एक ही भावना के साथ देख सकते हैं, क्या हम एक ही नजरिए के साथ सभी नेताओं को, राजनेताओं को देख सकते हैं, नहीं। लेकिन एक जो व्यापक रूप से इनके बारे में बात चली गई है कि ये सब एनजीओज जो हैं, ये काम नहीं करती हैं, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गई हैं, केवल पैसे लेने के लिए ही ये स्थापना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनमें यह है और कहीं न कहीं बुराई जरूर छिपी रहती है, लेकिन इनकी अच्छाई देखने की बात भी है। जहां इन्होंने अच्छे काम किए हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में ही ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्होंने हमारे पहाड़ी लोगों को, जिनका कि वीविंग का काम है, शॉलें बनाने का काम है, उसमें उनको बहुत प्रोत्साहन देकर, नए-नए इंटरोड्यूज किए हैं और काम किए हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और दूसरे क्षेत्रों में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। जहां हम अपने सारे प्रोग्राम चलाते हैं, उन प्रोग्रामों को गांवों तक पहुंचाने का काम भी ये NGOs करती हैं। इसके साथ-साथ यह जानना भी जरूरी है और मैं यह कहना चाहूंगी कि नए एक्ट लाकर इसका सुधार नहीं हो सकता है। जब हम इन NGOs का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो उनका एरिया ऑपरेशन है, जब रजिस्ट्रेशन होता है, आपके पास उसका पूरा हिसाब होता है कि एक जिले में, एक प्रांत में कितने NGOs का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनका क्या स्कोप है तथा वे किसके अंडर हुए हैं। क्या वे हैल्थ के अंडर हुए हैं, शिक्षा के अंडर हुए हैं, क्या वे ट्राइबल के अंडर हुए हैं, क्या वे गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम हैं, उनके अंडर हुए हैं। देखा यह जाता है कि एक ही हैड के अंदर अगर स्वास्थ्य के लिए है, तो आठ-दस या बीस NGOs उसी में ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं और वे अपना एरिया ऑपरेशन पूरा प्रांत बना लेते हैं। हमें इस बारे में भी देखना है कि वे कहां काम कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं तथा उनके एसेट्स क्या हैं, वे कहां से ला रहे हैं! क्या वे केवल सरकार के ऊपर ही निर्भर हैं, क्या वे केवल डोनेशन्स के ऊपर ही निर्भर हैं, क्या वे केवल ग्रांट्स के ऊपर ही निर्भर हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। अगर हम इन बातों को चैक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई और कानून बनाने की जरूरत है। हमें चेंज लाना है, तो जो सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है, उसमें लाना चाहिए। उसमें

देखना चाहिए कि एक ही प्रांत में कितने किस्म के NGOs किस-किस हैड के अंदर, किस-किस काम के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कि एक ही जगह पर एक NGO ने कह दिया कि मैं शिक्षा के बारे में लोगों की मदद करूंगी, मैं स्वास्थ्य के बारे में मदद करूंगी, नारी के सशक्तिकरण में भी मदद करूंगी। वे इतना वाइडर स्कोप कर देते हैं, वे इतने ज्यादा लगा देते हैं कि कहीं न कहीं तो उन्हें कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। हमें इन बातों का ध्यान रखना है, हमें इन बातों को देखना है कि जो NGOs रजिस्टर्ड हो रही हैं, उनका मकसद क्या है? वे कहां काम करना चाहती हैं, क्या उसके पास कोई टेक्निकल जानकारी है, क्या वह किसी और क्षेत्र में करना चाहती है, क्या उसके पास इस बात का इल्म है, क्या उसके पास काम करने के लिए स्कोप है, केवल रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जहां हम NGOs के लिए यह बात कहते हैं, वहां कई बात को ध्यान में रखना जरूरी है। मैं महिला आयोग की अध्यक्षा रही हूं और मैंने यह खुद देखा है और मुझे कई NGOs से बात करने का मौका भी मिला, उनसे इन्टरेक्ट करने का मौका मिला, वहां जाने का मौका मिला और देखने का मौका मिला कि एक ही जगह में बीस-बीस NGOs उसी काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो फिर कहां से काम होगा और वे कैसे काम करेंगी। उनका किस तरह से आडिट किया जाए, कहां से पैसा आ रहा है, किस पर लगा रहे हैं। उनको सबसे पहले तो यह लगता है कि बिल्डिंग बना ली जाए, ताकि उसमें वे खुद भी रह सकें। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस मकसद के लिए आपका विभाग उनको पैसा दे रहा है। यह देखना चाहिए कि क्या वे वह पैसा वहां पर लगा रहे हैं, क्या वे वहां जा रहे हैं, उनकी आउटपुट क्या है, कितना उन्होंने बताया है कि हमने यह काम किया, क्या आप उनकी 6 महीने में आडिट करते हैं या जब उन्होंने दोबारा से फंड लेने होते हैं तो तब वे अपने कागज लिखकर दिखा देते हैं कि यह हमने कर दिया और यह हमारा नफा नुकसान है और हमारे पास यह इतना आया है। फील्ड में देखना भी जरूर है। जहां हम NGOs को बोलते हैं वहां गवर्नमेंट को भी या जो भी संस्था है, उनको पैसा दे रही है, चाहे वह प्राइवेट फाउंडेशन है, चाहे वे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं....। जो भी है, उनको देखना चाहिए कि हमने जो पैसा दिया है, क्या वह ठीक तरह से यूज हो रहा है, क्या वह ठीक तरह से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैं समझती हूं कि अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो एन.जी.ओज. के बराबर कोई संगठन नहीं है, जो इस समाज को आगे ले जाने में काम कर रहा है। बुराई हर बात में आ जाती है। हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छाई का भी है, बुराई का भी है। जहां वह अच्छा काम करती है, वहां उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, जहां वह गलत काम करती है, वहां निन्दा होनी चाहिए। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कहीं पर कुछ ऐसी एन.जी.ओज. आपके ध्यान में आई हैं, तो आप गवर्नमेंट के ध्यान में लाइए। उनके बारे में लिखिए, उन्हें बताइए कि ये एन.जी.ओज. हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ऐसा काम कर रही हैं। उसकी पूरी तरह से मॉनीटरिंग होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह से विजिलेंस या किसी भी चीज की इंक्वारी होनी चाहिए। अगर वह खराब है, उसके काम गलत काम हैं तो ब्लैक लिस्ट नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसे सजा भी मिलनी चाहिए कि जिससे वह आगे ऐसा कोई काम न कर सके। अगर कहीं पर कोई ऐसी एन.जी.ओज. पाई गई है, ठीक है, थोड़े दिन के लिए उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसे घर बिठा दिया, फिर वह जितना टाइम पीरियड होगा, उसे पूरा करने के बाद फिर वैसी ही हो जाएगी, इसलिए उसकी भावना को जानना बहुत जरूरी है। आप यह नहीं कह सकते कि ट्रायबल में कुछ नहीं हुआ है। यदि आज जाग्रति आई है तो इन्हीं एन.जी.ओज. की वजह से आई है। इन्होंने ही समाज को यहां लाकर खड़ा किया है, चाहे वह गांव का है या शहर का है। आज पानी को बचाने के लिए आज पानी हमारे लिए एक चैलेंज

होता जा रहा है, इसके लिए एन.जी.ओज. बनी हैं, जो बताती हैं कि आपने पानी को कैसे बचाना है, पानी को किस तरह से इकट्ठा करना है। हम किस तरह से रेन हारवेस्टिंग है, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सरकारी लोग एक बार बुलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, बात खत्म हो जाती है। उन्हें आगे कौन ले जाए? कौन गांव-गांव तक ले पहुंचाए, उनके लिए कौन प्रोपेगेंडा करता है, प्रोग्राम बनाता है? सिर्फ यह कहने से कि ये एन.जी.ओज. गलत हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं, इनको खत्म हो जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं समझती हूं। जहां पर अच्छा काम हो रहा है, वहां प्रशंसा होनी चाहिए, यह देखना जरूरी है। अगर दस लाख एन.जी.ओज. हैं, जैसा इन्होंने कहा है, आप उसको देखिए। यह गवर्नमेंट की बात है। वे जहां रजिस्टर होती हैं, वे इन दस लाख को देखें। हर स्टेट का अपना-अपना विभाग है, अलग कॉ-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार हैं, उनके पास स्टाफ है, वे क्यों नहीं देखते कि हमने इसे रजिस्टर किया है और जो डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पैसा भी अलग-अलग तरह से आता है, कहीं हेल्थ वाले देते हैं, कहीं शिक्षा वाले देते हैं, कहीं प्रौढ़ शिक्षा वाले देते हैं, कहीं कोई और देता है, जहां जिस विभाग से आ रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वह जाकर चैक करे। वह जाकर देखे कि क्या यह ठीक हुआ है, यह ठीक लगा है, अगर नहीं लगा तो उसको पूछना चाहिए। एन.जी.ओज. के जो ऑफीसर्स हैं, जिन्होंने एन.जी.ओ. बनाई है, संस्था का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या प्रेसीडेंट है, उनसे पूछिए कि आपने पैसा लिया है, तो आपने क्यों नहीं किया है। केवल पैसा बंद करने से बात नहीं बनेगी। उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का पैसा है, फाउंडेशन का पैसा है, इंडस्ट्रियाइजेशन के ग्रुप्स भी पैसा देते हैं। वे भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा इस तरह से काम किया जाए। मैं ऐसा सोचती हूं कि अलग से बनाकर बात नहीं बनेगी, यदि हम जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उन्हीं में मुस्तैदी लाते हैं, उन्हीं को चुस्त-दुरुस्त करते हैं, जो वहां के महकमे के इंचारज हैं, उनको एकाउंटेबल बनाते हैं कि आप एकाउंटेबल हैं कि कौन सी एन.जी.ओ. काम नहीं कर रही है, क्या आपने फील्ड में जाकर देखा है कि यह एन.जी.ओ. जिस मकसद के लिए बनी है, वह काम कर रही है, इसकी एकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी ऑफीसर्स की होनी चाहिए, उनके ऊपर फिक्स होनी चाहिए, केवल एन.जी.ओज. को ब्लैक लिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। मैं समझती हूं कि इस समाज में इनका बहुत महत्व है। यह अभी से नहीं है, शुरू से चला आ रहा है। हमेशा से जो आर्गेनाइजेशंस होती थीं, वे काम करती थीं। आज जो रामलीला होती है, वह क्या है? वह भी तो एक एनजीओ के द्वारा ही की जाती है। इसी तरह से कई और हैं, जो शुरू से चली आ रही हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि सारी एनजीओज के लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें बुराई है।

इसमें कुछ ऐसा बिजनेस बन गया है, इसे कहने में कोई दो राय नहीं है। आज कई जगह वे बिजनेस करती हैं। उन्होंने एक धंधा बना लिया है। आज स्कूल्स खोले जाते हैं, वे भी बिजनेस के लिए खोले जाते हैं, नर्सिंग होम्स खोले जाते हैं, वे भी बिजनेस के लिए खोले जाते हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, वे भी बिजनेस के लिए खुल रहे हैं। एनजीओज भी इन्हीं में हैं, क्योंकि यह पैसे कमाने का एक आसान तरीका है कि इकट्ठे हो और एक एनजीओ बना लो। इस पर check होना चाहिए और इसे देखना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो overlapping नहीं होनी चाहिए। इस डिस्ट्रिक्ट में हमने इतनी एनजीओज रजिस्टर्ड करनी हैं, तो उतनी ही होनी चाहिए और उनका जो area of operation है, वह defined होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा हिन्दुस्तान ही उनका area of operation हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उनको उसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा पैसे इकट्ठा करने का, फंड जमा करने का

मौका मिल जाता है, जिसका वे गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जहां तक एनजीओज़ के लिए यह बात है कि वे गलत काम कर रही हैं, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है या वे जिस मकसद के लिए बनाई गई थीं, वह नहीं हो रहा है, एक फैशन बनता जा रहा है, वहां मैं समझती हूं कि सरकार का जो मंत्रालय है या जहां-जहां इनका रजिस्ट्रेशन है, उनका भी उतना ही दायित्व बनता है। इसलिए मैं समझती हूं कि हमें एक ही लाठी से नहीं हॉकना चाहिए। जहां एनजीओज़ अच्छा काम कर रही हैं, हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, जहां पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए काम कर रही हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। इसी के साथ मैं समझती हूं कि रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाने से कुछ नहीं होगा, जो existing laws हैं, अगर उनको ही ठीक तरह से लागू कर दिया जाए, तब भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसमें जितने लोग लगे हुए हैं, उनको फायदा होगा, कई बेचारे जो अच्छा काम करते हैं, वे भी इस वजह से suffer कर जाते हैं। कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, वह कहता है कि एनीजीओ चला रहा हूं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग की नसें तन जाती हैं कि अच्छा, एनजीओ! हम उनको भी ठीक ढंग से appreciate नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं यह समझती हूं कि जो existing laws हैं, आप उनको मजबूत कीजिए, ऑफिसेज़ को accountable बनाइए, उनकी monitoring होनी चाहिए, उनका audit होना चाहिए, जिससे पता लग सके कि उन्होंने ठीक काम किया है या नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): धन्यवाद सर। हालांकि आपने जो प्रस्ताव लाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि एनजीओ के नाम से आदमी घबरा जाता है, लगता है कि कोई गड़बड़ होने वाली है या कोई संस्था गड़बड़ चला रहा है। मैं विप्लव ठाकुर जी की बात से थोड़ा सहमत हूं कि हर एनजीओ का काम ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी एनजीओज़ हैं, जिन्होंने इसे बदनाम कर दिया है। सुनामी के बाद रिलीफ में हम लोगों का कुछ फंड लगा था यानी राज्य सभा के जो सदस्य हैं, उन लोगों ने भी इसमें पैसा दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों की एमपीलैड की एक टीम गई थी, तो हमने देखा कि जो सरकारी संस्था थी, मतलब कलक्टर के द्वारा हम लोगों के पैसे से जो काम होना था, वह काम अधूरा पड़ा हुआ था, लेकिन जो एनजीओ का काम था, जैसे orphan house बनाना हो, वह intact बना हुआ था, जबकि हम लोगों के पैसे पहले पहुंचे थे, उनके बाद में आए थे, लेकिन उन्होंने बना लिया। अभी हमारे यहां पर भयानक बाढ़ आई थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि बाढ़ में सरकारी हेलप ...**(व्यवधान)**... सर, आप हमारी बात सुनेंगे, तभी हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे.... सर, मैं आप ही को एड्रेस करते हुए बोल रहा हूं...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): जी हां, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मुझे नाम भी लिखने पड़ते हैं, इसलिए व्यवधान हुआ।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं यह बता रहा था कि एनजीओज़ ने बाढ़ के समय सरकारी ऑर्गनाइजेशन यानी स्टेट की ऑर्गनाइजेशन से भी आगे बढ़ कर काम किया। अभी सिरसा और मधेपुरा में जब बाढ़ आई थी, मैं तब की बात बता रहा हूं कि वहां पर एनजीओज़ के माध्यम से काफी बृहद् स्तर पर काम हुआ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने अथॉरिटी बनाने की बात कही, यह बहुत अच्छा विचार है। अथॉरिटी अवश्य बननी चाहिए।

सर, जो एनजीओ बनती हैं, वे रजिस्टर्ड होती हैं और यदि आप पता लगाएं तो उनमें वे अपने परिवार के लोगों को ही रखते हैं, यानी उन्हीं के पिता, भाई, बहन उस ऑर्गनाइजेशन में रहते हैं, इसलिए उनमें कोई conflict नहीं

होता। कोई एक-आध ही बाहर का आदमी उसमें होता है, जो उन्हीं का आदमी ही होता है, इसलिए directorship का भी कोई झंझट नहीं रहता। यह सही है कि एनजीओ का मतलब सामान्यतः स्वैच्छिक ऑर्गनाइजेशन से है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका प्रारूप बहुत खराब कर दिया है।

आपके सामने अभी सत्यम का उदाहरण आया कि एक सत्यम पकड़ा गया, वह जेल गया, लेकिन सर, यहां पर तो हजारों सत्यम हैं, हजारों आदमी ऐसी ऑर्गनाइजेशन्स चला रहे हैं, जिनको पैसा मिलता है, सैन्टर से फंड मिलता है, लेकिन उसका किसी तरह का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता। पहले एक CARE नाम की ऑर्गनाइजेशन थी, जो फॉरेन एड से चलती थी...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आप लोग आपस में बात न करें।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आप कोरम तो पूरा करवा लीजिए।

श्री राजनीति प्रसाद: जब हाउस शुरू होता है, तब कोरम देखा जाता है, लेकिन जब हाउस चल रहा है, तब कोई कोरम नहीं होता। आप अकेले भी बोल सकते हैं।

सर, उस ऑर्गनाइजेशन के लिए पहले अमरीकन फंड आता था, उसके बाद रशियन फंड आता था, अब तो शायद उन लोगों ने फंड बंद कर दिया है। सर, ये जो एनजीओ हैं, उनके बारे में एक सख्त कानून होना चाहिए और आपने सहली कहा कि इसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। आप रजिस्टर कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन रजिस्टर करने के बाद उसे देखने वाला कोई नहीं होता है कि वे क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसे पैसा दे रहे हैं। कोई वृद्धाश्रम खोलने के लिए ऑर्गनाइजेशन बनाता है, कोई शिक्षा के लिए ऑर्गनाइजेशन बनाता है, कोई ब्लाइंड्स के लिए ऑर्गनाइजेशन बनाता है, कोई पानी के लिए ऑर्गनाइजेशन बनाता है, कोई स्वच्छता के लिए बनाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता कि क्या उनके माध्यम से गांव में कोई शौचालय बनाया गया? क्या बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया? क्या वृद्धाश्रम बनाया गया? क्या वे उसे रेगुलेट कर रहे हैं, यह सब देखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आपने जो कहा है कि इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, वह बिल्कुल सही है। इन ऑर्गनाइजेशन्स को देखने के लिए हर जिले में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अवश्य होनी चाहिए। अगर उन्हें देखने के लिए आप कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, उनकी मॉनीटरिंग नहीं करेंगे तो अंत में आपको मालूम पड़ेगा कि जितना पैसा आपने दिया था, वह सब खा गए और सब घोटाला हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि उन्हें 6 महीने या एक साल की जेल भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा तो गया और आपका करोड़ों रुपया चला गया। इसलिए सर, इसके बारे में मॉनीटरिंग जरूर होनी चाहिए, केवल पैसा देने से काम नहीं चलेगा।

यह सही है कि हम एकदम नैगेटिव एप्रोच लेकर नहीं चल सकते हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं ने इस देश में बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और इस देश में इसके उदाहरण भी मौजूद हैं। सर, मैं अभी दूर पर अहमदाबाद गया था, वहां किनारे पर गांधी जी का आश्रम है, मैं वह देखने भी गया था। वहां पर एक मकान जैसा बना हुआ है, गांधी जी वहीं रहते थे। एक आदमी ने पूछा कि वह आश्रम कैसे चलता था, तब उन्होंने बताया कि जब कभी गांधी जी के घर के लोग भी वहां आते थे, अर्थात् पोते-पोतियां अथवा रिश्तेदार आते थे, तो उनसे भी कहा जाता था कि आप यहां रहे,

आपने नाश्ता किया, चाय पी, तो इसके लिए पैसा देकर जाइए, बिना पैसा दिए मत जाइए। उन लोगों से भी पैसा लिया जाता था। जो आदमी organize कर रहा है, voluntary organization चला रहा है, अगर उसकी नीयत साफ नहीं है, दिल का वह पवित्र नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, पैसा खाने के लिए इसे बना रखा है, तो वह आर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलेगी। इसका 10 लाख नहीं, 50 लाख बना दीजिए, कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए इसका अगर स्टेट अथॉरिटी रहे, आप उनको ही पावर दे दीजिए कि साहब यह जो आर्गेनाइजेशन है, वह क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में जरूर विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए, नहीं तो आपने जो करोड़ों रुपया दिया, वह गया। हमारे एक-दो मित्र हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम एन.जी.ओ. चला रहे हैं। हमने पूछा कि कौन-सा एन.जी.ओ. चला रहे हैं, तो वे बोले कि हम शिक्षा का एन.जी.ओ. चला रहे हैं। हमने कहा कि अच्छा, ठहरिए। हमने आगे कहा कि आप दिखाइए कि आपने कहां-कहां क्या किया है। इस पर उन्होंने कहा कि वह सब देखने की चीज नहीं है, सोचने की चीज है। मतलब कि आप उसको देखिए मत। वे कौन-सा स्कूल चला रहे हैं, कितने ब्लाइंड को पढ़ा रहे हैं, कितने वृद्धाओं को पढ़ा रहे हैं, कितने एडल्ट्स को एजुकेशन उपलब्ध करा रहे हैं, कितनी महिलाओं को आपने शिक्षित किया है, यह सब आप सोचिए, यह देखने की चीज नहीं है। बहुत-से voluntary organizations को मैंने खुद जाकर देखा है। अब तो छुट्टी हो गई है तो मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पोजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। हमारे जैसा दुबला-पतला आदमी जो एन.जी.ओ. चलाता है, वह छः महीने के अन्दर बहुत मोटा हो जाता है। लेकिन हमें अब आर्गेनाइजेशन चलाने का नहीं है। हमें भी लोग कहते हैं कि आप भी तीन वर्षों के अन्दर कोई आर्गेनाइजेशन बना लीजिए, हमने कहा कि नहीं, हमको ऊपर जाना है। ऐसा गंदा काम हम लोग नहीं करेंगे। यह काम गंदा है क्योंकि आप सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा, गरीब का पैसा लेते हैं और वह पैसा लेकर आप रैक्लिक संस्था चलाते हैं और वहां आप गड़बड़ करते हैं, तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए यह जो आपका प्रस्ताव है, उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसके बारे में विचार कीजिए, जरूर विचार कीजिए। विचार यह कीजिए कि इस संस्था को कैसे पवित्र बनाया जाए, कैसे एक्टिव बनाया जाए, कैसे इसमें पैसे का संचालन किया जाए। इसके बारे में आप जरूर विचार करिए। यह जो प्रस्ताव है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। महोदय, अभी मैं इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को पढ़ रहा था और अधिकांश बातें जिनकी चिंता इसमें की गई है वे सचमुच चिन्ता करने की बातें हैं। अनेक संगठन इस देश में चल रहे हैं जो सरकारों से, अन्य संस्थाओं से, विदेशों से भी सहायता प्राप्त करते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। केवल दुरुपयोग होता है, ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य से इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो इस देश के हितों के विरुद्ध भी काम करते हैं। वास्तव में मैंने इसके पहले भी अन्यान्य माध्यमों से इस बात की मांग की है कि जो संस्थाएं इस प्रकार की हैं, जिनका उल्लेख उद्देश्य में किया भी गया है, विशेष रूप से जो विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं, उनकी ठीक से जांच-पड़ताल होना जरूरी है। इस देश में अनेक काम राष्ट्र-विरोधी हो रहे हैं, जिनमें ऐसी संस्थाओं के सदस्यों का अथवा संस्थाओं का लिप्त होना पाया गया है। महोदय, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ, जहां पर सरकारी स्तर पर ऐसे कमिशन बने थे, जिन्होंने इसकी छानबीन की है और इसकी पुष्टि भी की है। मैंने मांग भी की है कि इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने वाले लोगों की छान-बीन होनी चाहिए। महोदय, इन सारी चीजों के प्रति जो चिन्ता आपने व्यक्त की है, वह सही है, परन्तु ऐसा नहीं है जैसा हमारे राजनीति प्रसाद जी ने कहा। मैं भी ऐसे

संगठनों को जानता हूँ जो सचमुच पवित्रता से काम करते हैं, भले ही वह कम हैं। इसलिए यद्यपि मुझे यह विधेयक आज ही मिला है, इसको मैं पहले नहीं देख सका वरना एक छोटा-सा संशोधन भी रखने की मेरी इच्छा थी किन्तु मैं यहां निवेदन कर रहा हूँ कि जो स्वैच्छिक संगठन की परिभाषा दी गई है, उसमें थोड़ा-सा बदलाव करना ऐसे संगठनों के लिए न्यायपूर्ण होगा जो सचमुच, जैसा राजनीति प्रसाद जी ने कहा, पवित्रता से काम कर रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव ऐसा है, मैं भी राजनीति प्रसाद जी के समान, ...(व्यवधान)... कोई बात नहीं, आप भी एक आवश्यक काम कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि देश में ऐसे भी संगठन हैं, जो कहीं से कोई पैसा नहीं लेते और वे बड़े संगठन हैं, जो वही काम कर रहे हैं, जो आपने यह सूची बनाई है। ये संगठन अनेक प्रकार से उन सारे कामों को कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है और मैं चाहता हूँ कि इस पर अवश्य विचार किया जाए। इसमें जो पृष्ठ क्रमांक 2 पर स्वैच्छिक संगठन की परिभाषा दी गई है, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हो, मेरा ऐसा कहना है। मैं पढ़ रहा हूँ, जो इसमें लिखा है- "स्वैच्छिक संगठन" से कोई ऐसा संगठन अथवा संस्थान अथवा सोसायटी अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित या पंजीकृत हो अथवा न हो, जो बिना किसी वाणिज्यिक लाभ के निम्नलिखित कार्यकलापों में संलग्न है:- ...", इसमें ये सारे कार्यकलाप दिए गए हैं। मैं इसमें इस प्रकार जोड़ना चाह रहा हूँ, - स्वैच्छिक संगठन से ऐसा कोई संगठन अथवा संस्थान अथवा सोसायटी अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित या पंजीकृत हो अथवा न हो, अब मैं जोड़ रहा हूँ - जिसने पंजीयन के लिए आवेदन किया हो और जो सरकार या अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करते हों, केवल ऐसे ही संगठनों को इस परिधि में लाना चाहिए। जो किसी से पैसा नहीं लेते हैं और जिन्होंने स्वयं नहीं कहा है कि हमें पंजीकृत कीजिए, ऐसे अनेक संगठन देश में हैं, सौभाग्य से आज भी हैं, इसका एक उदाहरण अभी राजनीति प्रसाद जी ने दिया है, मैं और भी उदाहरण जानता हूँ, परन्तु जब हम उनको स्वैच्छिक संगठन कह रहे हैं, तब उनको स्वैच्छिक ही रहने दिया जाए। वे पैसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वे पंजीकृत होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनको सचमुच स्वैच्छिक रहने देना चाहिए, परन्तु जो बाकी चिंता हैं, उनमें मैं सहमत हूँ। अनेक लोग, जो सब प्रकार से पैसा ले रहे हैं, प्रादेशिक सरकारों से ले रहे हैं, केन्द्र सरकार से ले रहे हैं, विदेशों से ले रहे हैं और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं, सरकारी स्तर पर भी छानबीन होकर प्रमाणित हुआ है कि कुछ ऐसे संगठनों के कार्यकलाप देश के हितों के भी विरुद्ध हैं। मैं ऐसे भी संगठन जानता हूँ, जिन्होंने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए भी विश्व के फोरम पर प्रयास किए हैं। मैं यहा नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ, परन्तु मैं इस प्रकार के संगठनों को जानता हूँ। इसलिए इन पर अंकुश लगाना सचमुच में आवश्यक है और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, किन्तु ऐसे संगठनों को, भले ही वे थोड़े से होंगे, उन्हें मैं इस परिधि में लाना आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे किसी से कुछ नहीं लेते हैं, अपना संगठन स्वयं चलाते हैं, लोक-कल्याणकारी काम करते हैं और उन्होंने आवेदन भी नहीं किया है कि आप हमें पंजीकृत कीजिए, हमें मानिए। ऐसे संगठनों को इसके बाहर रखना चाहिए। ऐसा मेरा पुरजोर आग्रह है, वरना ऐसे संगठनों के प्रति अन्याय हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह "स्वैच्छिक संगठन विनियामक प्राधिकरण, 2006" जिस भावना से लाया गया है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया है, उस भावना का मैं सम्मान करती हूँ, किन्तु इसको पढ़ने पर मैं यह भी महसूस करती हूँ कि इसके पीछे उद्देश्य, कारण और भावना तो अच्छी है, मगर यह कहीं व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि एनजीओस के कार्यक्रम कैसे हैं, क्योंकि इन एनजीओस को समाज से, देश से, विदेश से, कई सरकारों से धन दिया जाता है, जिसके कारण वे जनसेवा का, समाज-सेवा का, लोगों के दुख-दर्द में उनके सहयोगी बनने का, आपदाओं की घड़ी

में उनका साथ देने का, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के क्षेत्र में मदद करने का काम भी ये एनजीओस करते हैं और रोजगार के संसाधन विकसित करने के लिए, महिलाओं को, गरीबों को रोजगार से संबंधित कार्य सिखाने के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी काम करते हैं। कई क्षेत्र में एनजीओज काम करते हैं, कई प्रदेशों में काम करते हैं। हर प्रदेश में हर राज्य की अपनी सरकारों होती हैं, अपना प्रशासन होता है। इतना बड़ा यह देश है, इसलिए कहीं यह व्यवहारिक और संभव नहीं लगता कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे ऐसी कोई प्रणाली विकसित हो कि एक ही जगह पर पंजीकरण और विनियमन की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था संभव हो सके। इसलिए यह मुझे व्यवहारिक नहीं लगता है। लेकिन मैं इस भावना की कद्र करते हुए अपने चंद विचार यहां रखना चाहती हूं। जैसा मुझसे पहले कई प्रबुद्ध सदस्यों ने बड़े अनुभव के बाद यहां अपने विचार रखे, जिसमें से एक बात निकल कर आई कि अगर कभी कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे उतारकर फेंका नहीं जाता बल्कि उसे धोया जाता है, उसे स्वच्छ किया जाता है और उसे निर्मल किया जाता है, वही कोशिश होनी चाहिए।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है। कुछ जगह यह भी है। कहां नहीं है? कई जगह प्रशासन में भी है। ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जहां डीआरडीए का पैसा लगता है या राज्यों में कई जगह जो पैसा जाता है - स्वयं राजीव जी ने एक बार यह कहा था कि एक रुपया भेजते हैं तो दस पैसे पहुंचते हैं। यह कमी व्यवस्था के हर स्तर पर सरकार, प्रशासन, पंचायतों और एनजीओज में व्याप्त है। होना यह नहीं चाहिए कि व्यवस्था प्रणाली ही खत्म कर दें। इसका मतलब यह कि मरीज खत्म हो, यह कोई उसका इलाज नहीं है। इलाज यह है कि उस व्यवस्था को कैसे पारदर्शी, व्यवहारिक और व्यवस्थित बनाया जाए कि उसका लाभ जिस निमित्त संस्था को जो धन दिया जा रहा है, जो ताकत दी जा रही है, जो सहयोग दिया जा रहा है, उसी तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। प्रदेश स्तर पर उसको मॉनिटरिंग करके विकसित किया जाना चाहिए। यह न हो कि मॉनिटरिंग के नाम पर भ्रष्टाचार की एक और इकाई विकसित हो जाए, कई बार ऐसा भी देखने में आता है। महोदय, हम कई बार देखते हैं कि अगर हमने अपने सांसद कोष से कहीं राशि दी है तो वहां प्रशासन की तरफ से निर्माण कार्य की जो गुणवत्ता होती है उसकी तुलना में जो एनजीओज निर्माण कार्य करते हैं, उनकी गुणवत्ता और लागत में अंतर होता है। यह पता नहीं कैसे होता है! कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि वह कम लागत में अच्छी गुणवत्ता का काम करा पाते हैं। मैं जिक्र करूं कि कुछ एनजीओज इतना अच्छा काम कर रहे हैं - जयपुर में एक महावीर सेवा समिति है जिसके प्रमुख माननीय श्री डी.आर. मेहता जी हैं जो पहले सेबी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक आदमी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ बिना किसी तरह का कोई प्रदर्शन किये और बिना किसी यश की चाह के - मेरे ख्याल में उस एनजीओ ने निःशक्तजनों को पैर लगाने के लिए, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जितना काम किया है, शायद ऐसा उदाहरण किसी एनजीओ के काम में बहुत कम देखने को मिलता है। जहां वाकई में काम हो रहा है, सौ में से सौ प्रतिशत राशि वहीं लग रही है जहां पर वह लगनी चाहिए। इसी तरह, अजमेर जिले के तिलोनिया में एक सेंटर है जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमती अरुणा राय और श्री राय जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में भी काम किया है, वह अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। काम करने वाले लोग - चाहे वह एनजीओज में बैठे हों, चाहे वह सत्ता में बैठे हों, चाहे वह पंचायत में बैठे हों या चाहे वह प्रशासन में बैठे हों, क्योंकि कहीं न कहीं हर कुर्सी पर होता तो व्यक्ति ही है, अगर उनके काम करने की भावना और नीयत सही है और प्रणाली बिल्कुल सही विकसित की गई है कि उसमें गड़बड़ करने की

गुंजाइश ही न रहे, तो फिर उसका लाभ उसी निमित्त तक पहुंच जाता है जिसको कि उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए, महोदय, मेरा तो यही अनुरोध है कि प्रदेशों का यह दायित्व हो कि वे यह देखें कि सरकारें, राज्य सरकारों ऐसी प्रणाली विकसित करें कि NGOs को जो धन, चाहे विदेशों से दिया जाए, चाहे सरकारों द्वारा दिया जाए और चाहे कोई प्राइवेट संस्था या प्राइवेट लोग अपनी तरफ से उनको धन दें या सहयोग दें, उसका पूरा लाभ उन लोगों को ही पहुंचे जिनके निमित्त वह दिया गया है। आज हम कई जगह देखते हैं कि काम सिर्फ कागज़ों पर ही होकर रह जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। गांवों में कई जगह हमने दौरे किए, शौचालय बने हैं, कई शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन कई शौचालय कागज़ों पर ही हैं और दौरा करने पर हमने देखा कि वहां तो शौचालय कहीं है ही नहीं। अगर कहीं हैं तो ऐसे कि एक हवा में उड़ जाएं, कहीं हैं तो ऐसे हैं कि वे पूरे तौर से प्रभावी ही नहीं हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है, उनकी साफ-सफाई, देख-रेख की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पैसा अगर किसी काम पर लगा है, वह काम पूरी गुणवत्ता से हुआ है या नहीं, उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो दिन के लिए कोई चीज़ बनी और उसके बाद वह खत्म हो गई, वह चीज़ काम ही नहीं कर रही, जिस पर पैसा लगा है। तो इन सबकी मॉनिटरिंग हो, इन सबको देखा जाए, यह राज्य सरकारों का काम हो। कई जगह तो यह व्यवस्था हो जाती है, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वह किसी भी व्यवस्था में हो कि कोई पैसा लेते पकड़ा गया है, वह पैसा देकर छूट जाता है। यह व्यवस्था खाली NGOs पर ही लागू नहीं होती। इसलिए हमारे कुछ कवियों और लेखकों को इस तरह की बात लिखनी पड़ती है।

उपसभापति महोदय, मैं केवल यह ही कहना चाहती हू कि NGOs को और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सब काम सरकारें ही करें, ऐसा संभव भी नहीं है और यह जो NGOs हैं, ये सरकारी नहीं सामाजिक इकाइयों हैं सेवा करने की। इन इकाइयों को और ज्यादा मजबूत, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए ऐसी प्रणाली प्रदेश, राज्य स्तर पर जरूर विकसित हो और देखी जाए और केन्द्र सरकार में कोई ऐसी व्यवस्था हो, जिससे उसका आकलन समय-समय पर होता रहे और ऐसे NGOs पुरस्कृत किए भी जाते हैं और उनको सम्मान भी मिलता है। तो ऐसे NGOs का इस तरह से सम्मान हो कि वे औरों के लिए एक उदाहरण बनें और उन NGOs को तो और ज्यादा प्राथमिकता से सशक्त करने की जरूरत है जो महिलाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। महोदय, जब तक हमारी बहनें इस देश में आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं होंगी, तब तक समाज में, परिवार में उनको जो अनचाही परिस्थितियों का - घरेलू हिंसा, शोषण, उत्पीड़न का, शिकार होना पड़ता है, उससे उन्हें नहीं बचाया जा सकेगा और उससे बचने का यह एक बहुत ही सार्थक उपाय है। इसलिए, ऐसे संगठनों को और ज्यादा मजबूत किए जाने और जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है।

मैं यही कहना चाहूंगी कि मरीज समाप्त न हो, मर्ज समाप्त हो, मर्ज का इलाज हो और NGOs की प्रणाली और अच्छे तरीके से विकसित हो, अच्छे तरीके से काम करती रहे। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Narayanasamy.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Deputy

Chairman, Sir, I am grateful to the hon. senior Member of this House, Dr. Kalraj Mishra, who initiated the discussion on the Voluntary Organisations Regulatory Authority Bill, 2006. I am also grateful to other hon. Members, Shri Shantaram Laxman Naik, Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan, Shri Brij Bhushan Tiwari, Shrimati Viplove Thakur, Shri Rajniti Prasad, Shri Shreegopal Vyas and Shrimati Prabha Thakur for having participated in the discussion.

Sir, the objective of the Bill is to regulate the functioning of the voluntary organisations in this country.... whether they are NGOs run partially by private agencies or fully by other organisations which are run for public purposes. Sir, the voluntary organisations, in this country, have been running since time immemorial. The NGOs are doing a very good job in the field of education, health, etc. In the rural areas as well as in the tribal areas where Scheduled Castes and Scheduled Tribe people are living, they are working for the purpose of improving the living conditions of the people. When there is any natural calamity, these voluntary organisations are contributing a lot in ameliorating the sufferings of the people who have been affected. Whether it is drought, whether it is flood, whether it is cyclone or tsunami or any other natural calamity, these voluntary organisations are doing a very good job in this country. Voluntary organisations are a must in this country. The hon. Member, Dr. Prabha Thakur, has very rightly said that all the works for welfare of the people cannot be done by the Government alone. It requires the support from the voluntary organisations and the public. Therefore, we cannot ignore the voluntary organisations.

Sir, several arguments have come in favour of having a regulatory mechanism and against it. Sir, I am fully aware of the fact that the intention of the hon. Member, Shri Kalraj Mishra, is to have a regulatory mechanism for the voluntary organisations which are running in the country which should be insulated so that they function within the parameters that have been given and serve the purpose for which these voluntary organisations have been formed. And, therefore, he wanted to register them to regulate the functioning of the voluntary organisations. He also wanted to record grant of money that has been sanctioned to these voluntary organisations. He wanted to impose restrictions on those voluntary organisations which are working in district and State level in a particular field so that they will be able to perform their function according to the objectives. Whenever the complaints come, these should be properly inquired into and it should be recommended to the Government. The regulatory authority should also be empowered to take a *suo motu* action against a voluntary organisation if it comes to know about any kind of corruption in which that voluntary organisation has been involved. These are the main parameters which have been given by him in the Bill. Sir, the definition that has been given in the Bill for the purpose of recognising a voluntary organisation says that a voluntary organisation is an organisation which is promoting education, including adult education; involved in relief operations whenever there is natural calamity in any part of the country or drought situation prevailing there or in case of cyclone, earthquake, storm or squalls. Thirdly, Sir, the hon. Member wanted to provide facilities to orphans, old-age people, widows, physically impaired, mentally retarded and also the destitute. All these people have to be considered. Then, he wanted

education for the children who are orphans. The major thing which he wanted was to create awareness among the people about pollution hazards; AIDS and social evils like dowry, child marriage, *sati*, etc. Sir, my humble submission to the hon. Member, who has brought the Bill, is that this work is already being done by the Government agencies. He wanted all of them to bring under one umbrella, so that this authority can regulate, monitor, take action, and cancel the registration of those who are not genuine. All these activities can be done by this organisation.

There are several Ministries in the Government of India which deal with it. There is the Home Ministry; there is the Ministry of Human Resource Development; there is the Health Ministry; there is the Ministry of Rural Development; and there is the Ministry of Social Justice. These are the Ministries which are helping the NGOs in getting financial assistance for doing their work.

It is not the Central Government alone which decides which is a genuine NGO. The recommendation has to come from the State Government. The NGOs are registered with the State Governments. When they want a scheme to be implemented through various organisations, respective State Governments, after complete scrutiny of the application that has been given to them or the project that has been given to them, forward it to the Government of India. Thereafter, the Government of India's various Ministries sanction the money.

If an NGO is bogus or if a voluntary organisation is not doing the job that is required to be done by it, the State Government will not recommend its name.

श्री राजनीति प्रसाद: नहीं-नहीं। ऐसा नहीं है।

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not like that. State Governments are responsible Governments. The State Government cannot do anything without following the rules and procedure. Therefore, the State Government recommends an NGO and the Central Government sanctions it the money. Suppose money has been sanctioned to an NGO for a particular project, say, for conducting an awareness programme, or running a school, or educating people on health issues, or for the purpose of helping the people who have been affected by tsunami or earthquake or other things. While implementing those schemes, if there is any kind of corruption or mismanagement, then the nodal Ministry, the Ministry which has sanctioned the money, takes action against them. There is already a mechanism available in the country. The Ministry takes action against those organisations whenever it receives a complaint and sometimes it *suo motu* inspects it. The State Government after inspecting it, submits a report, and after that it takes action against those voluntary organisations. If they find that they have not done the work according to the specification that has been given to them, then the job of cancellation of registration and recovering money from the NGO is being done by the nodal Ministry concerned.

Therefore, the purpose for which the hon. Member wanted the Bill to be introduced and passed in this House is to have an authority, this kind of mechanism is already in existence in the country.

I agree with the hon. Member that there are more than ten lakh to twenty lakh voluntary organisations in the country. It is not possible for any Government machinery to monitor everything. Even if you bring a monitoring agency by constituting a separate authority, that is also not going to do the job completely, because they will have only limited offices. The hon. Member wants that sanctioning of money to the NGOs should be done by this organisation. According to this Bill, he wants this kind of an authority. Therefore, it has to be done by them. He wanted a corpus of Rs.500 crores and recurring expenditure of about Rs.5 crores. That has to be given to the organisation as corpus. Sir, not only Rs.500 crores alone, thousands of crores of rupees are given by the Government of India for various voluntary organisations in this country. There is one argument to which I agree. But, even then, the Home Ministry is very particular about it. When the funds come from abroad for various voluntary organisations, they will have to go to the Foreign Contribution Regulation Authority and unless and until the Home Ministry clears it, the funds will not come. The Home Ministry has got several agencies to verify whether the NGO can be given foreign contribution. When the money comes from there, the Home Ministry gives permission for the purpose of receiving money from abroad by that NGO and after the money is received – whether they are spending the money for the scheme or not, the Home Ministry is also monitoring that. That is also being done by them. But, there are some cases. I do not subscribe to the theory of 100 per cent. There are 1, 2 or 5 cases. Some people may err also. That does not mean that we should stop funding all the voluntary organisations. It should not be taken like that. I saw that myself when Tsunami came. The hon. Deputy Chairman, hon. Ministers and hon. Members visited some areas. When Tsunami came in Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, Puducherry, Kerala and Andhra Pradesh, the work was done there by the voluntary organisations to make the people forget the Tsunami effect is enormous. They were not looking to the Government. I would like to say that in my State, out of 20,000 houses which were to be built, voluntary organisations built the houses within six months. The State Government could not do it even till now and the voluntary organisations handed over the portion to the Tsunami-affected people. And, apart from that, when the people were affected, some voluntary organisations provided them relief material, temporary shelter, etc. So, we cannot under-estimate the work that is being done by the voluntary organisations and NGOs in this country. And, today, the people of that coastal region feel that they are secured because of the enormous work done by the voluntary organisations and NGOs. Therefore, Sir, we have got a better example for that. Sir, if some people receive the money for the purpose of swallowing it, we cannot leave them alone. We have to take action against them. It is absolutely required and the Government is also very particular about it. Sir, in the Planning Commission, the National Policy on the Voluntary Sector was formulated which will answer the questions raised by the senior hon. Member, Shri Kalraj Mishra. The National Policy for Voluntary Sector 2007 was formulated for the purpose of regulating the functioning of the

voluntary organisations. A copy of the document has been given to various State Governments to follow the guidelines that are given by the Planning Commission. When nodal Ministries are there, how does the Planning Commission come into the picture? It is because the Planning Commission keeps the records and database of the voluntary organisations which are functioning in the country and, from time to time, the Planning Commission issues guidelines to the Central Government Ministries and also to various State Governments.

श्री राजनीति प्रसाद: सर, आप सत्यम को छोड़ दीजिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज तक जो एनजीओज़ हैं, जो इल्लीगल काम कर रही हैं, उनमें से ऐसे कितने लोगों पर आपने मुकद्मा किया, कितने एनजीओज़ के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया? केवल यही मेरी क्लेरिफिकेशन है और कुछ नहीं है।

श्री उपसभपति: उन्होंने बता दिया है कि इसके बारे में लोक सभा के क्वेश्चन में फिगर्स दिया गया है। कैंसिलेशन तो आपने कहा है।

श्री कलराज मिश्र: कैंसिलेशन का नहीं है। इन्होंने जो कैंसिलेशन के बारे में पूछा है, कैंसिलेशन नहीं हुआ है। कैंसिलेशन करने का कोई कानून नहीं है, इसलिए मैंने यह कहा। मैंने उसका उदाहरण इसलिए दिया था कि फ्रीज़ तो कर सकते हैं, उसको प्रॉयर परमिशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसका पैसा रोक सकते हैं।

श्री राजनीति प्रसाद: उसने पैसा तो ले लिया और उसको खा लिया? ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: उसके बारे में कुछ नहीं, उसके बारे में कोई नहीं है। ...(व्यवधान).... मैं मॉनिटरिंग के लिए और दंड देने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री राजनीति प्रसाद: आप सत्यम को छोड़ दीजिए।

श्री उपसभपति: सत्यम एनजीओ नहीं है।

श्री राजनीति प्रसाद: आपने ऐसे कितने आदमियों को पकड़ा है, जिन्होंने पैसा खा लिया और काम नहीं किया? मेरा इतना छोटा सा सवाल है।

SHRI V. NARAYANASAMY: This information which the hon. Minister wanted, has to be collected from various Ministries. But for your benefit, the hon. Member, Shri Kalraj Mishra, has mentioned in his Statement of Objects and Reasons that 8673 non-governmental organizations have been blacklisted for violation of Foreign Exchange Management Act. He has mentioned that in the Bill itself...*(Interruptions)*... उसके बारे में पूरा इन्फोरमेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। Sir, actually, the same type of Bill was brought in the Lok Sabha also by the hon. Member Dr. V. Saroja, and the hon. Member, Shri Kanshi Ram Rana, also brought the same Bill in the other House. There it was decided that the Planning Commission should act as a Nodal agency, and therefore, a Cell was formed in the Planning Commission. That Cell is called the Voluntary Action Cell. This Voluntary Cell is coordinating with all those Ministries which are providing funds to various NGOs and collect the data base on

those voluntary organizations and then provide the information to those Ministries after collecting the same and submit this information to various States also. Sir, the National Policy on Voluntary Sector which was formulated and about which I have mentioned earlier, was actually circulated to various States. Sir, can I continue?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to continue, you can continue next week also. If you want to conclude, it is all right.

श्री कलराज मिश्र: आप इसका जवाब दे रहे हैं, इसमें पूरा जवाब नहीं आया है। आप कंटीन्यू कर सकते हैं।

श्री उपसभापति: आप कंटीन्यू करना चाहते हैं?

श्री कलराज मिश्र: इसमें जवाब नहीं आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ।

SHRI V. NARAYANASAMY: I will continue because a lot of questions have been asked. The main scope of the National Policy on Voluntary Sector which was formulated by the Planning Commission, that includes organizations engaged in public service based on ethical, cultural, social, economic, political, religious, spiritual, philanthropic or scientific and technological considerations because it covers the wider area, including political organisations, and it includes formal as well as informal groups, such as community-based organizations because there are some voluntary organizations which are community-based and non-developmental organizations, charitable organizations, support organization, network or federation of such organizations because some-cluster of the NGOs will be formed as one group and they have been doing a job in certain areas, specially in the field of agriculture and poultry, so many organizations are working. They have been pooled together and they are working. Sir, I had one organization called CARE which has been working in the country and abroad also. When I was interacting with them, they have been telling that they have been working not only in the tsunami area, but also in the rural areas for agriculturists to increase the agricultural production by educating the agriculturists in the villages, fishery, poultry farming and also giving micro credit. The voluntary organisations are giving micro credit to the farmers.

Our farmers need not go to persons who are lending money at a higher rate of interest. These kinds of activities are being done. Some NGOs are also doing multipurpose activities. Sir, we find that in rural areas, the voluntary organisation's job is enormous, especially in the tribal areas, the adivasi areas and the Scheduled Caste areas. Sir, you might have observed that in the North-East, some voluntary organisations have concentrated very well. In the field of education, they have developed a lot because many voluntary organisations are working well. They have opened some schools and hospitals in certain far-flung areas where even the Government organisations cannot reach. It has got a laudable objective. Therefore, while formulating the policies, the Government should take into consideration the services provided by these voluntary organisations. The Planning

Commission has, therefore, specifically mentioned this in the policy of voluntary sector: "Firstly, to create an enabling environment for voluntary organisations." That stimulates their enterprises and effectiveness and safeguard their autonomy. "Secondly, to enable the voluntary organisations to legitimately mobilise the necessary financial resources in India and from abroad." "Thirdly, to identify the system by which the Government may work together with voluntary organisations on the basis of principles of mutual trust and respect....." This is very important, "....there should be a mutual trust and respect with a shared responsibility. Unless and until voluntary organisations work with all sincerity, the purpose will not be served. To encourage the voluntary organisations to adopt a transparent and accountable system of governance and management, there should be transparency because there are some voluntary organisations which are working in the country in a close circuit." People do not know for what purpose the voluntary organisation is working. And they also do not explain to the people the work that is being done by them in various areas. Therefore, Sir, it should be transparent. And the people should also know that such and such voluntary organisation is working, whether in the field of health or education, or in building a village society. Fourthly, these voluntary organisations should also adopt a policy of accountability towards the Government.- In managing the affairs, utmost accountability should be there; otherwise, it will be impossible for the Government to identify the functioning of voluntary organisations.

Sir, you will also find that a lot of complaints have come about the funds that are being received from abroad. This policy, which has been enunciated by the Planning Commission, has clearly mentioned: "The international funding of voluntary organisations plays a small but significant part in supporting such organisations and their work in the country. Any organisation seeking foreign funding must be registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act. There are problems like funds must be held in a single bank account, thus presenting enormous difficulties to the farmers working at different locations." This is the practical problem being faced by the voluntary organisations. "The Government will review the Foreign Contribution (Regulation) Act and simplify the provisions that apply to voluntary organisations, from time to time, in consultation with the joint consultative groups to be set up by the concerned Ministry, and also by the nodal Ministry through which the funds are also coming." The concerned Ministry is the Ministry of Human Resource Development. Sir, we also find that there are a lot of complaints received about the mechanism that has been working under the existing system, about the guidelines, the rules and the functioning of the voluntary organisations in the country, *i.e.* NGOs, and the support given by the various Central Government Ministries for those organisations. I am not saying that it is a foolproof system. But the power to monitor their activities, to take action, and also to blacklist those organisations, vests with the Governments. What the hon. Member wants by this Bill is to set up a regulatory authority. He has very specifically mentioned it. What is this regulatory authority? He wants a Voluntary Organisations

Regulatory Authority to be set up under clause 3 of the Bill. He wants a separate Voluntary Organisations Welfare Fund to be created under clause 8 of the Bill and the voluntary organisations to be assisted through that Fund. It is highly impossible. The fund is given to various voluntary organisations by the Central Government institutions or by various Ministries under various schemes. It differs from one Ministry to the other depending on the scheme. Therefore, pooling all the funds under one organisation and distributing to various NGOs is difficult. What happens is that there are organisations at the State level and all India level. Our hon. senior Member, Kalraj Mishraji, is very partial. He wants the headquarters to be located in Lucknow.

श्री कलराज मिश्र: बाकी के स्टेट्स में भी अलग-अलग हो सकता है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Normally the headquarters will be in Delhi. Why do you want it to be in Lucknow?

Apart from that, registration is a must. We agree with him. The voluntary organisations should be registered. They should be monitored. There should be a mechanism to monitor the functioning of the voluntary organisations. Everybody will agree with him on that. If any organisation falls short or is not functioning properly, definitely action would be taken against it.

As far as this Bill is concerned, in clause 7 he has mentioned that the authority shall, within one month from the date of receipt of an application from a voluntary organisation, declare whether the application for registration has been accepted or rejected and in case the application has been rejected, the reasons in this regard shall be recorded. There is a mechanism to verify the genuineness of the organisations. He wants this authority to usurp the powers of the State Government and the powers of various institutions. Some organisations are registered under the Societies Act; some organisations are registered under the Companies Act; some organisations are registered under the Trust Act. He wants this authority to usurp the powers given to various institutions by Central legislations. The Central legislations have given powers to various institutions to register the NGOs. The hon. Member wants to usurp the powers of those institutions through this Bill.

There is a clause for setting up a Voluntary Organisation Welfare Fund. What does it mean? It is not for the welfare of the voluntary organisations. It is for the welfare of the people. The Fund has to be created for the purpose of supporting those organisations to provide benefits to the people under the various schemes, whether it is health scheme or whether it is education scheme or whether it is for running an old-age home or whether it is for running a centre for the physically handicapped or whether it is for running a centre for the mentally retarded people. It has to go there. The Welfare Fund should not be for the NGOs. It has to be corrected.

Then, Sir, in clause 9 he has mentioned that the Central Government shall make a grant to each and every voluntary organisation. He wants the money to be granted at regular intervals. You know the procedure. If one scheme is sanctioned and if the scheme is implemented, unless and until the completion certificate is given, a grant for another scheme will not be given. It has been made very

clear that no voluntary organisation or NGO will be given money by the Government unless and until the utilisation certificate is given, the State Government is satisfied and the utilisation certificate comes to the Central Government. Therefore, it can't be given from time to time, unless and until the nodal Ministry is satisfied. The fund sanctioning authority should be satisfied that the money provided has been fully utilised. Therefore, that provision is also not very clear.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, it is 5 o'clock. You can continue it later.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I have replied to only 50 per cent of the points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can continue it in the 216th Session. Now statement by the Minister of External. Affairs, Shri Pranab Mukherjee.

STATEMENT BY MINISTER

Follow up to Mumbai Terrorist Attack

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to inform the House of developments since this House last considered the aftermath of the dastardly terrorist attack on Mumbai. On December 12, 2008 this House resolved, in a solemn Resolution that: "India shall not cease in her efforts until the terrorists and those who have trained, funded and abetted them are exposed and brought to justice".

Through the months of December, January and February, we have continued to use all means available and heightened our diplomatic activity to achieve the goals set for us, namely, to bring the perpetrators of the terrorist attacks on Mumbai to book, and to seek credible steps by Pakistan to ensure that there would be no recurrence of such attacks.

The Mumbai attacks were a crime committed on India, the conspiracy for which was hatched, planned and organized in Pakistan. In our diplomatic effort, we made it clear to Pakistan and the international community:

Firstly, that the terrorist attack on Mumbai again underlines the grave threat that terrorism poses to peace and stability and therefore has to be seen in the context of the global challenge of terrorism. Terrorism emanating from Pakistan is of course a direct threat to India, but it is equally a regional and a global threat.

Secondly, from our investigations the evidence was conclusive that the attack was planned, executed and launched from Pakistan territory, by Pakistanis and by elements based in Pakistan. The primary onus of responsibility lies on Pakistan to fully unveil the conspiracy, identify those guilty and act in a transparent and verifiable manner.